[2019] 7 एस. सी. आर. 400

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

वी.

केंद्रीय आयुक्त, रायपुर

(2012 की सिविल अपील सं. 2150)

8 मई, 2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, उदय उमेश ललित और

के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: s.11AB-s के तहत ब्याज की मांग। 11 एबी-क्या एस के तहत ब्याज देय है। 11 अधिनियम का एबी

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अंतर उत्पाद शुल्क जो वृद्धि खंड के आधार पर देय हो गया-आयोजितः यदि कोई गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान है, तो वह एस के तहत वसूली योग्य हो जाता है। 11 ए-चार आकस्मिकताओं में से किसी में भी, अर्थात् गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान। 11 ए, एस। 11 एबी इस प्रकार, चार आकस्मिकताओं में से किसी में भी आकर्षित होता है, क्योंकि

कोई शुल्क जो एस के तहत निर्धारित या भुगतान किया जाता है। 11 ए,

अनिवार्य रूप से निर्धारिती एस के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। 11AB ब्याज घड़ी उस तारीख से टिक करती है जैसा कि r में दिया गया है। 8 आर/डब्ल्यू एस। 11 एबी एस के तहत अभिव्यक्ति "वह महीना जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था"। 11 अधिनियम का एबी, जब इसे आर के साथ पढ़ा जाता है। 8 , जो घोषणा करता है कि एक महीने के दौरान कारखाने या गोदाम से हटाए गए माल पर शुल्क का भुगतान महीने के छठे दिन किया जाना है।

अगले महीने का अर्थ यह होगा कि विधानमंडल ने अधिनियम के तहत "वह महीना जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था" अभिव्यक्ति को उसी अर्थ में समझा है जैसा कि आर में घोषित किया गया है। 8 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 - आर. 8.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: s.11AB-जब मूल्य को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ऊपर की ओर संशोधित किया जाता है और उस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान भविष्य की तारीख को तुरंत किया जाता है, तो क्या एस के तहत ब्याज देय है। 11 एबी उस महीने के बाद के महीने के पहले दिन से जिसमें अधिनियम के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था-आयोजितः नियमों के तहत, माल को हटाने पर शुल्क के लिए आवश्यक हो जाता है-मूल्यांकन स्वयं निर्धारिती द्वारा स्व-मूल्यांकन के माध्यम से किया जाना है-ऐसे मामले में जहां मूल्य के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाता है, निर्धारिती को मूल्य पर शुल्क की दर लागू करनी होती है और उस महीने के बाद महीने के छठे दिन या उससे पहले शुल्क का भुगतान करना होता है जिसमें माल को हटाया जाता है जब अस्थायी मूल्यांकन किया जाता है।

400 मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयुक्त, रायपुर

अंतिम रूप दिए जाने पर, निर्धारिती उस महीने की पहली तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, जिसके लिए राशि निर्धारित की जाती है-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 - आर. 8.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की योजना और नियम एक अलग संहिता हैं। धारा 11 ए वसूली के लिए एक प्रावधान है। यदि कोई गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान है, तो वह धारा 11 ए के तहत वसूली योग्य हो जाता है। अगर ऐसा है तो

धारा 11 ए में निर्दिष्ट चार आकस्मिकताओं में से कोई भी धारा 11 एबी को आकर्षित करती है। मूल अधिनियम का कार्यकरण है

नियमों के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए, यदि वह मूल्य जो नियम 6 के माध्यम से स्व-मूल्यांकन के माध्यम से घोषित किया जाता है और जिस पर शुल्क का भुगतान किया जाता है, वह पूर्ण मूल्य नहीं है, तो धारा 11 एबी और नियमों के साथ पठित धारा 11 ए की योजना के तहत,

निर्धारिती ब्याज के लिए दायित्व तब वहन करता है जब किसी मामले में पूर्ण मूल्य पाया जाता है और यह हटाने की तारीख तक का होता है। इस मामले में, निश्चित रूप से, जिस समय माल को हटाया गया था, उस समय कीमत तय नहीं थी। निर्धारिती इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत था कि यह परिवर्तन के अधीन था और उसे पता था कि वह जिस मूल्य की घोषणा कर रहा था वह ऊपर की ओर संशोधन के लिए उत्तरदायी था। निर्धारिती के लिए नियम 7 के प्रावधानों को लागू करने और अस्थायी मूल्यांकन के लिए एक आदेश की मांग करने के लिए परिस्थितियाँ वास्तव में स्पष्ट रूप से उपयुक्त थीं। [पारस 35,36] [440-ए-डी]

इंद्रधनुष उद्योग (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई (1994) 6 एससीसी 563: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 135; बलरामपुर इंडस्ट्रीज

लिमिटेड वी. सीमा शुल्क और केंद्रीय सहायक कलेक्टर

उत्पाद शुल्क और अन्य। (1995) पूरक। (3) एस. सी. सी. 429; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बड़ौदा बनाम। कॉट्सपन लिमिटेड (1999) 7 एस. सी. सी. 633 [1999] 3 पूरक। एससीआर 184; एम/एस। ईस्टलैंड

कंबाइंस, कोयंबटूर बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कोयंबटूर ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 843: [2003] 1 एससीआर 98; आईटीडब्ल्यू

सिगनॉड इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर (2004) 3 एससीसी 48: [2003] 5 पूरक। एससीआर 751-संदर्भित

को।

2. निस्संदेह, धारा 11 ए के संशोधित प्रावधानों ने ऐसे मामले में भी शुल्क की वसूली का अधिकार दिया है जहां -

वर्गीकरण सूची को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और यह [2019] 7 एस. सी. आर. का संचालन करेगी।

हटाने की तारीख से और उस तारीख से नहीं जिस दिन कारण बताना जारी किया गया था। धारा 11 ए, जिसे 1978 के अधिनियम 26 द्वारा जोड़ा गया था, काफी हद तक 1944 के नियमों के नियम 10 का पुनरुत्पादन है।

धारा 11 एबी, इसे 1996 के अधिनियम 33 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद, 2000 के अधिनियम 10,2001 के अधिनियम 14,2002 के अधिनियम 20 और 2005 के अधिनियम 49 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। धारा 11 ए को अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 11 एबी। यह इस कारण से है कि धारा 11 एबी के तहत ब्याज उत्पाद शुल्क नहीं लगाए जाने या भुगतान नहीं किए जाने या कम समय के लिए लगाए जाने, कम समय के लिए भुगतान किए जाने या गलती से वापस किए जाने पर आधारित है। ऐसा शुल्क या तो धारा 11 ए की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित किया जाता है या इस तरह के निर्धारण के बिना इसका भुगतान उप-धारा के तहत किया जाता है।

(2(ख) धारा 11 क। किसी भी परिस्थिति में, अर्थात् गैर-लेवी, गैर-भुगतान, अल्प-लेवी और अल्प-भुगतान, कोई भी शुल्क निर्धारित या भुगतान किया गया है जैसा कि धारा 11 ए के तहत प्रदान किया गया है।

अनिवार्य रूप से निर्धारिती उस महीने के बाद की पहली तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था। [अनुच्छेद 43,45-47] [448-G-H; 452-B; f-h; 453-A-B]

एन. बी. संजना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की सहायक कलेक्टर,

बॉम्बे और ओआरएस। वी. एल्फिंस्टन कताई और

वीविंग मिल्स कं. लि. ; 1978 ई. एल. टी (जे 399)-संदर्भित

को।

3. नियमों के तहत, माल हटाने पर शुल्क के लिए उपयुक्त हो जाता है। मूल्यांकन स्वयं निर्धारिती द्वारा किया जाना है - आत्म-मूल्यांकन। ऐसे मामले में जहां मूल्य के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाता है, निर्धारिती को मूल्य पर शुल्क की दर लागू करनी होती है और महीने के छठे दिन या उससे पहले शुल्क का भुगतान करना होता है

उस महीने के बाद जिसमें माल को हटाया जाता है। निस्संदेह, यदि निष्कासन मार्च में होता है, तो भुगतान 31 मार्च तक किया जाना है। अस्थायी मामले में निर्धारण, निर्धारिती वास्तविक मूल्य या शुल्क की दर के बारे में संदेह महसूस करता है। वह आवेदन करता है और उसे अस्थायी मूल्यांकन पर माल हटाने के आदेश के तहत अनुमति दी जाती है। इसके बाद मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाता है। जब अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाता है, तो निर्धारिती उस महीने की पहली तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, जिसके लिए राशि निर्धारित की जाती है। नियम 7 (4) के तहत, अभिव्यक्ति "उस महीने के बाद जिसके लिए ऐसी राशि है"

निर्धारित माल को हटाने के महीने को संदर्भित करता है।

जब मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयुक्त, रायपुर

अनंतिम मूल्यांकन के ऐसे परिणाम होते हैं, यह एक व्याख्या करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण भेदभाव का अवसर देगा

धारा 11 एबी पर जिसके द्वारा नियम 7 के तहत अस्थायी मूल्यांकन के लिए जाने वाले मूल्यांकनकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

ऐसे मामले में हटाने की तारीख के संदर्भ में मूल्यांकन को अंतिम रूप देना जहां मूल्य वृद्धि खंड पर काम करने के परिणामस्वरूप मूल्य पूरी तरह से निर्धारित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है और धारा 11 एबी के तहत देय राशि वृद्धि देने के निर्णय की तारीख के संदर्भ में उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, कानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह निष्पक्ष हो और समान रूप से स्थित कर निर्धारकों के समूह के बराबर हो। विधायी इरादा, इस संबंध में, अन्यथा भी नहीं हो सकता है। विधानमंडल ने धारा 11 एबी में अधिनियम और नियमों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से समय निर्धारित किया है। इस अधिनियम के तहत "वह महीना जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था" अभिव्यक्ति, जब इसे नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है, जो घोषणा करता है कि एक महीने के दौरान कारखाने या गोदाम से हटाए गए माल पर शुल्क का भुगतान अगले महीने के 6 वें दिन किया जाना है, इसका मतलब यह होगा कि विधानमंडल ने अधिनियम के तहत "वह महीना जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था" अभिव्यक्ति को उसी अर्थ में समझा है जैसा कि नियम 8 में घोषित किया गया है। [पारस 49-51] [453-C-H; 454-A-B; D]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, बड़ौदा बनाम। कॉट्सपन लिमिटेड

(1999) 7 एससीसी 633: [1999] 3 पूरक। एससीआर 184

संदर्भित किया गया।

4.1 ऐसे मामले में जहां सामान को गुप्त रूप से हटाया जाता है, वहां कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। समान रूप से, गैर-भुगतान होगा। इस प्रकार, गैर-शुल्क का मामला भुगतान न करने के साथ ओवरलैप हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पूर्ण शुल्क के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है, गलती से या अन्यथा हो सकता है। इसी तरह, यदि कोई गैर-शुल्क नहीं है, तो आंशिक भुगतान किया जा सकता है। यह इसे कम भुगतान का मामला बना देगा क्योंकि भुगतान निर्धारिती द्वारा किए गए स्व-मूल्यांकन के अनुसार लगाए गए शुल्क की राशि से मेल नहीं खाता है। एक छोटा शुल्क आम तौर पर एक ऐसा मामला होगा जहां सामग्री से बाहर हो

निर्धारण के, अर्थात् (1) शुल्क की दर, (2) मूल्यांकन और (3) हटाई गई मात्रा, सभी या कोई भी घटक गलत हैं।

आवेदन किया। एक उदाहरण के रूप में यदि लागू शुल्क की पूरी दर लागू नहीं की जाती है, हालांकि मूल्यांकन और मात्रा सही ढंग से प्राप्त की गई है। पर, यह अल्प-शुल्क के अंतर्गत आ सकता है। एक मायने में यह कहा जा सकता है कि [2019] 7 एस. सी. आर.

अल्प-भुगतान भी होता है, जैसे कि भुगतान को उस राशि के रूप में समझा जा सकता है जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया है, यह अल्प-भुगतान का मामला हो सकता है। लेकिन इसे कम शुल्क के तहत रखना अधिक उपयुक्त हो सकता है जहां भुगतान में कमी अनिवार्य रूप से कम शुल्क के संदर्भ में है। [पैरा 58] [456-बी-डी]

4.2 यदि अल्प-शुल्क को उन मामलों तक सीमित समझा जाना है जहां मूल्यांकन पूर्ण मूल्यांकन नहीं है, तो इसे ध्यान में रखा जाए।

सही ढंग से शामिल मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, शुल्क की दर, मूल्यांकन और मात्रा को उचित मूल्यांकन के घटकों में से एक के रूप में लघु शुल्क के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् मूल्यांकन गलत तरीके से किया गया है। ऐसे मामले में भुगतान गलत तरीके से मूल्यांकन किए गए आंकड़े के संदर्भ में किया जाता है। भुगतान 1944 के नियमों के नियम 10 के तहत मूल्यांकन से मेल खाता है, "अल्प-भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय शब्द " शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ", का उपयोग किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में जहां कानूनी रूप से भुगतान की गई राशि मूल्यांकन की गई राशि के अनुरूप है, यह वह राशि नहीं है जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाना चाहिए था। शुल्क के पूर्ण भुगतान या अल्प भुगतान का अभाव भी वास्तव में एक अर्थ में हुआ है। ऐसे मामले में जहां वृद्धि खंड है, माल को अस्थायी मूल्य पर मंजूरी दी जाती है। नतीजतन, मूल्य अस्थायी है। पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बाद में वृद्धि होती है। यह उस मूल्यांकन को प्रभावित करेगा जो निर्धारिती द्वारा स्व-मूल्यांकन में नियोजित किया गया था जो अनिवार्य रूप से होगा

अस्थायी। मूल्य में वृद्धि पूर्वव्यापी संचालन को देखते हुए हटाने की तारीखों से शुरू होगी। मान लीजिए।

विभेदक शुल्क के भुगतान के लिए दायित्व उत्पन्न हो गया है। वास्तविक मूल्य पर, मूल्य की पूर्वव्यापी वृद्धि के मामले में, हालांकि बाद में सहमति प्राप्त की जा रही है और परिणामी अंतर शुल्क स्वीकार्य रूप से देय है, इसके परिणामस्वरूप धारा 11 ए को धारा 11 एबी के साथ पढ़ा जाएगा। [पैरा 59] [456-एफ-एच; 457-ए-सी]

4.3 यह सच है कि वैधानिक प्राधिकरण ने इसे कम भुगतान का मामला पाया है। ब्याज का दावा करते हुए जारी किए गए नोटिस में

कहा जाता है कि कम शुल्क है। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि यह लघु शुल्क का मामला है, धारा 11 एबी के साथ पठित धारा 11 ए आकर्षित होती है और धारा 11 एबी के साथ पठित नियम 8 में प्रदान की गई तारीख से ब्याज घड़ी टिक हो जाती है। यदि अल्प भुगतान की अवधारणा है

उन सभी राशियों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया जिनका भुगतान किया जाना चाहिए था, मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

वी. केंद्रीय आयुक्त, रायपुर

इसे कम भुगतान के मामले के रूप में भी माना जा सकता है, हालांकि कानूनी रूप से यह सच हो सकता है कि यह सख्ती से कम शुल्क के अंतर्गत आ सकता है। [पैरा 60] [457-सी-ई]

5. जहाँ तक धारा 11 ए (2) (बी) के दूसरे स्पष्टीकरण के दायरे का संबंध है, यह निर्धारिती द्वारा स्वेच्छा से भुगतान करने पर विचार करता है। यह धारा 11 ए के तहत बिना किसी नोटिस के जारी किया गया है। की ओर से दायित्व का भी संदर्भ है निर्धारिती को धारा 11 ए (2) (बी) के तहत ब्याज का भुगतान करना, न केवल उस राशि पर जो धारा 11 ए (2) (बी) के अर्थ के भीतर भुगतान की जाती है, बल्कि किसी भी छोटे भुगतान पर जो उत्पाद शुल्क द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

अधिकारी। इसका केवल यह अर्थ है कि भुगतान किसी निर्धारिती द्वारा किया जा सकता है -

चार राशियों में से कोई भी राशि, अर्थात् गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान। चूँकि धारा के तहत कोई सूचना नहीं है

11 ए और उस राशि का निर्धारण न करना जिसके अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है, ऐसा हो सकता है कि निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में कमी हो सकती है, जो निर्धारिती को कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए आवश्यक है। [पैरा 62] [457-जी-एच; 458-ए-सी]

सी. सी. ई बनाम एसकेएफ इंडिया लिमिटेड 2009 (13) एससीसी 461: 2009] 10 एससीआर 714; सीसीई बनाम। इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड 2010 (2) एस. सी. सी. 672 [2010] 1 एस. सी. आर. 211-पर निर्भर था।

बनाम वी. बी. एस. चीनी): [1999] 2 एससीआर 925; पी. जी. और डब्ल्यू. सावू (पी) लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. और अन्य। 2017 (13) एस. सी. सी. 284 आयोजित

अप्रयोज्य।

एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, मद्रास

1997 (5) एस. सी. सी. 104; जे. के. सिंथेटिक्स बनाम। की स्थिति

राजस्थान (1994) 4 एस. सी. सी. 276; पुरोलेटर इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 2015 (10) एस. सी. सी. 715 [2015] 9 एस. सी. आर. 812; इंडिया कार्बन लिमिटेड और अन्य। वी. असम राज्य 1997 (6) एस. सी. सी. 479: [1997] 3 पूरक।

एससीआर 1; ई. आई. डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड बनाम सी. सी. टी 2005 (4) एस. सी. सी. 779: [2005] 3 एस. सी. आर. 1144-संदर्भित।

[20

19] 7 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

2009] 10 एससीआर 714

उस पर भरोसा करें

पै

रा 1

[2010] 1 एससीआर 211

उस पर भरोसा करें

पै

रा 1

1997 (5) एससीसी 104

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

(1994) 4 एस. सी. सी. 276

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2015] 9 एससीआर 812

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1997] 3 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

1955 एससीआर 599

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 26

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 27

1964 एससीआर 767

अप्रयोज्य रखा गया

2001 (3) एससीसी 76

पै

रा 28

[1999] 2 एससीआर 925

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 28

अप्रयोज्य रखा गया

2017 (13) एससीसी 284

पै

रा 28

[2005] 3 एससीआर 1144

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[1994] 4 पूरक। एससीआर 135

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

(1995) पूरक। (3) एस. सी. सी. 429

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[1999] 3 पूरक। एससीआर 184

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[2003] 1 एससीआर 98

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2003] 5 पूरक। एससीआर 751

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

1978 ई. एल. टी (जे 399)

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2

2012 से।

के 13.08.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली। ई/367/2008।

के साथ

सिविल अपील सं। 2562 2012 का 600,2013 का 1522-1523,599

वी. श्रीधरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एल. बद्री नारायणन, आदित्य भट्टाचा

विक्टर दास, सुश्री अपेक्षा मेहता, मनीष रस्तोगी, श्रेय आशात, एम. देवनाथ, विकास सिंह जांगड़ा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयुक्त, रायपुर

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अरिजीत प्रसाद, शेखर व्यास, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

इंडिया लिमिटेड 2009 (13) एस. सी. सी. 461 (इसके बाद "एस. के. एफ. मामला" के रूप में संदर्भित) और इसी पीठ द्वारा सी. सी. ई. बनाम. में दिया गया एक अन्य निर्णय। इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड 2010 (2) एस. सी. सी. 672 और उक्त आधार पर विवाद को हल करने के लिए मामला हमारे सामने रखा गया था।

2. बहुत संक्षेप में, जिस प्रश्न पर हमें विचार करने और समाधान करने के लिए कहा जाता है, वह यह है कि क्या अंतर उत्पाद शुल्क पर ब्याज पूर्वव्यापी प्रभाव से देय है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 11 एबी के तहत वृद्धि खंड के आधार पर देय हो जाता है।

3. अपीलों के इस समूह में, हम सी. ए. No.2150/2012 को प्रमुख मामले के रूप में देखेंगे। हम उक्त मामले को सेल मामले के रूप में संदर्भित करेंगे। में।

इन उत्पादों को 1 जनवरी, 2005 से जुलाई 2006 तक बिक्री के लिए मंजूरी दी गई थी। माल को मूल्य के भुगतान पर उत्पाद शुल्क के भुगतान पर मंजूरी दी गई थी जो उनके परिपत्र दिनांक 24.04.2005 के आधार पर तय किया गया था। इसके बाद, मूल्य परिपत्र दिनांक 20.07.2006 के माध्यम से कीमतों में वृद्धि की गई। यह संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। यह उसी पर आधारित है कि सेल ने उत्पाद शुल्क के माध्यम से Rs.142 करोड़ जमा किए। यह अगस्त 2006 में किया गया था। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने सेल के साथ पत्राचार किया और मंजूरी के बारे में विवरण मांगा। सामग्री के आधार पर सेल को अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज भेजने के लिए कहा गया था। सेल ने अपनी आपत्तियाँ दायर कीं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पाया कि सेल रुपये की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 142 जनवरी, 2005 से जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान माल को हटाने की तारीख के आधार पर गणना की गई। अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर विचार किया गया और उन्हें कम योग्य पाया गया। न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। न्यायाधिकरण ने एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद जब मामला आया [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय के समक्ष, दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद एसकेएफ मामले और इंटरनेशनल ऑटो में भी निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया और इसलिए 2015 (16) एससीसी 107 में रिपोर्ट किए गए निर्णय में मामलों को हमारे पास भेजा गया। हमने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना। 4. एस. के. एफ. मामले में भी निर्धारिती ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कीमतों के संशोधन के आधार पर बुलाए जाने पर अंतर शुल्क का भुगतान किया।

उक्त राशि का भुगतान करना। इसके बाद राजस्व ने निर्धारिती से अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज का भुगतान करने का आह्वान किया। दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 11 ए और 11 एबी पर विचार करने के बाद

सी. सी. ई. बनाम में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय। रुचा इंजीनियरिंग P.Ltd। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में धारण करनाः

" 11. धारा 11-ए गैर-लेवी या अल्प-लेवी के मामलों को गैर-लेवी, गैर -

भुगतान या अल्प-भुगतान या दो में शुल्क की गलत वापसी

निरीक्षण या कुछ गलती और यह जानबूझकर नहीं है। दूसरा जिसमें शुल्क का गैर-भुगतान या अल्प-भुगतान, आदि धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या दमन के कारण होता है। शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का तथ्य या उल्लंघन;

इसका मतलब है, यह जानबूझकर, जानबूझकर और/या छलपूर्ण तरीकों से किया गया है।

स्वाभाविक रूप से, दोनों समूहों में आने वाले मामले अलग-अलग होते हैं परिणाम और उनसे अलग तरीके से निपटा जाता है।

नियम और शर्तें। ऐसे मामले जहां शुल्क का गैर-भुगतान या छोटा भुगतान, आदि धोखाधड़ी, मिलीभगत आदि के कारण होता है, धारा 11-ए की उप-धारा (1-ए) के तहत निपटा जाता है और ऐसे मामले जहां शुल्क का गैर-भुगतान या छोटा भुगतान जानबूझकर नहीं किया जाता है। उप-धारा (2-बी) के तहत।

13. धारा 11-ए की उप-धारा (2-बी) में प्रावधान है कि -

निर्धारिती-चूक, उस पर उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस जारी होने से पहले, अवैतनिक शुल्क का भुगतान कर सकता है

अपने स्वयं के निर्धारण का आधार या केंद्र द्वारा निर्धारित

आबकारी अधिकारी और केंद्रीय आबकारी अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें उसके द्वारा किए गए भुगतान के बारे में और उस स्थिति में वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं होगा।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

उप-धारा (1) के तहत मांग सूचना दी गई है। लेकिन उप-धारा के स्पष्टीकरण 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा भुगतान

धारा 11 एबी के तहत देय ब्याज से छूट नहीं होगी, यानी महीने की पहली तारीख से अवधि के लिए। उस महीने के बाद जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था

विभेदक शुल्क इस प्रकार स्पष्ट रूप से धारा 11-ए की उप-धारा (2-बी) के तहत आता है और धारा 11-एबी के तहत ब्याज का उद्ग्रहण आकर्षित करता है। अधिनियम "।

5. अंतर्राष्ट्रीय ऑटो मामले में वही पीठ बाद के फैसले में अपने विचार दोहराने आई। पीठ ने एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम में भी निर्णय का अनुमान लगाया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, 'के रूप में 1997 (5) एस. सी. सी. 104। अदालत ने पैराग्राफ 9 में एम. आर. एफ. मामले में यही निर्धारित किया है।

" 9. हमारे विचार में, अधिनियम के तहत शुल्क की वसूली की योजना में पूरे बदलाव के साथ, विशेष रूप से 2001 के अधिनियम 14 और 2003 के अधिनियम 32 को शामिल करने के बाद, एम. आर. एफ. लिमिटेड [(1997) 5 एस. सी. सी. 104: (1997) 92 ई. एल. टी. 309] लागू नहीं होगा। वह निर्णय अधिनियम की धारा 11-बी की व्याख्या पर था, जो निर्धारिती द्वारा शुल्क की वापसी के दावे से संबंधित है। वह निर्णय 14-5 1983 पर अनुमोदित मूल्य सूची के संदर्भ में था। उस मामले में, निर्धारिती ने हटाने की तारीख की कीमत और कम कीमत जिस पर टायर बेचे गए थे, के बीच के अंतर पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा किया था। मूल्य को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। उस मामले में, निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि उसकी मूल्य सूची को सरकार द्वारा 14-5-1983 पर अनुमोदित किया गया था, लेकिन उसके बाद, उपभोक्ता [2019] 7 एस. सी. आर. के कारण।

इसके विरोध में, भारत सरकार ने निर्धारिती को कीमतों को पूर्व-आईडी1 स्तर पर वापस लाने का निर्देश दिया और उस कारण से, मूल्य अंतर उत्पन्न हुआ, जिसके आधार पर निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा किया, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक बार निर्धारिती ने वर्गीकरण पर माल को मंजूरी दे दी, तो निर्धारिती हटाने की तारीख को शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया और बाद में किसी भी कारण से कीमतों में कमी को विभाग के लिए चिंता का विषय नहीं बनाया जा सकता है, जहां तक उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की देयता का संबंध है।

6. दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ, जिन्होंने मामलों को संदर्भित किया है, ने महसूस किया कि एम. आर. एफ. का निर्णय जारी रहेगा, केवल माल को हटाने के समय का मूल्य स्थिति को नियंत्रित करेगा जो एक मौलिक सिद्धांत है जो अब तक अच्छा बना हुआ है। भविष्य में भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को "अल्प भुगतान" की अवधारणा को आकर्षित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि अंतर शुल्क देय हो सकता है लेकिन ब्याज देय नहीं है। ब्याज घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देगी।

अंतर शुल्क देय होने की तारीख से, यानी जिस दिन पक्ष बढ़े हुए मूल्य पर सहमत होते हैं, उससे पहले नहीं। यह इंगित किया गया था कि धारा 11 एबी में पाई गई अभिव्यक्ति "भुगतान की जानी चाहिए थी" इस अदालत द्वारा एसकेएफ मामले में विचार नहीं किया गया था। अदालत ने महसूस किया कि एस. के. एफ. मामला जे. के. सिंथेटिक्स में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है और हर्जाने या मुआवजे के रूप में ब्याज की मांग नहीं की जा सकती है।

7. हमारे विचार में, निम्नलिखित प्रश्नों का निर्णय हम करेंगेः

1) क्या एस. के. एफ. मामले में और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो में भी निर्णय एम. आर. एफ. मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कानून निर्धारित करता है जो वास्तव में एक

तीन न्यायाधीशों की पीठ।

2) जे. के. सिंथेटिक्स बनाम में निर्णय का प्रभाव। राजस्थान राज्य और इस संबंध में हमारे समक्ष उद्धृत अन्य निर्णय भी

राजकोषीय कानूनों के तहत ब्याज की मांग करना।

3) क्या धारा 11 ए (2) के तहत शुल्क का निर्धारण धारा के तहत ब्याज की मांग को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

11 अधिनियम का एबी।

4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 7 का प्रभाव जो

अस्थायी मूल्यांकन पर विचार करता है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.] 5) क्या विभेदक शुल्क के भुगतान को माना जा सकता है

"अल्प भुगतान" शीर्ष के तहत शुल्क के भुगतान का मामला।

6) आय के संचय से संबंधित आयकर अधिनियम के तहत निर्णयों का प्रभाव और अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत देयता पर आयकर अधिनियम के तहत आय के संचय का प्रभाव, अधिनियम के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए

और नियम।

8. इससे पहले कि हम मामले को अधिक विस्तार से निपटाने के लिए आगे बढ़ें, हम तुरंत ध्यान देते हैं कि पारित संदर्भ आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण बनाम सी. सी. ई. (ऊपर) में न्यायालय हैः

" 21. सबसे पहले उन्होंने बताया कि इन अपीलों में,

लेन-देन दो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैंः

(क) जहाँ माल की कीमत हटाने के समय और स्थान पर "तय" की जाती है, और बाद की बातचीत के परिणामस्वरूप (अक्सर)

लंबा) कीमत खरीदार द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित की जाती है; (ख) जहाँ हटाने के समय और स्थान पर कीमत "निश्चित नहीं" है (वृद्धि खंड के अधीन कीमत), और अंतिम कीमत है -

विक्रेता और खरीदार के बीच बाद में सहमति बनी।

उनके अनुसार पहली श्रेणी में आने वाले मामलों में अंतर शुल्क भी देय नहीं है। हालाँकि, ये सभी अपीलें दूसरी श्रेणी में आती हैं और इसलिए, हम पहली श्रेणी से संबंधित किसी भी चर्चा में शामिल नहीं हैं। हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि इन सभी अपीलों में, विवाद की अवधि (यानी वह अवधि जिसमें मूल्य संशोधन के कारण पूरक चालान थे)

उठाया गया) "लेन-देन मूल्य" परिभाषा की शुरुआत के बाद है 1944 के अधिनियम की धारा 4 में लेकिन 2010 से पहले।

22. यह पक्षकारों का एक सामान्य मामला है और यहां तक कि निर्धारिती के लिए विद्वान वकील भी स्वीकार करते हैं कि गैर-निश्चित मूल्य परिदृश्य में, मूल्य के बाद के संशोधन पर अंतर शुल्क का भुगतान किया जाना उत्तरदायी है, जिसे निर्धारिती ने पहले ही उस समय या उसके आसपास अंतर शुल्क का भुगतान कर दिया था जब विक्रेता और खरीदार द्वारा संशोधित मूल्य पर सहमति व्यक्त की गई थी। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या उस पर ब्याज का भुगतान माल की निकासी की तारीख से किया जाता है जब चालान के आधार पर शुल्क का भुगतान किया गया था, उस तारीख तक जब अंतर शुल्क का भुगतान किया गया था।

किया। "[2019] 7 एस. सी. आर.

इसलिए, हम इस मामले में इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि हटाने के समय कीमत तय नहीं है। अर्थात्, मूल्य वृद्धि खंड के तहत संशोधन के अधीन है। यह भी माना जा सकता है कि कोई विवाद नहीं है या तो उस पीठ के समक्ष उठाया गया जिसने मामले को संदर्भित किया या अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष उठाया गया कि अंतर शुल्क वास्तव में बाद में संशोधित मूल्य पर देय है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से संचालित होना है।

9. इस मोड़ पर हम एम. आर. एफ. मामले में तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, मद्रास)। एमआरएफ मामला

यह 12.3.1997 पर तय किया गया था और इसकी सूचना 1997 (5) SCC 104 में दी गई है। न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 24.9.1986 पर पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर की गई थी। विवादित आदेश द्वारा हटाने की तारीख और घटाई गई कीमत पर अंतर मूल्य पर भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया गया था। निर्धारिती द्वारा स्थापित मामला यह था कि मूल्य सूची को 14.5.1983 पर अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, उपभोक्ताओं द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्माताओं की एक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्माता-निर्धारिती को कीमतों को पूर्व 14.5.1983 स्तर तक लाने का निर्देश दिया। उसी के आधार पर कीमतों में अंतर पैदा हुआ। इसके कारण धन वापसी का दावा किया गया। न्यायाधिकरण का विचार था कि केवल हटाने के समय की कीमतें ही मायने रखती हैं। बाद में किसी भी कारण से कीमतों में कमी पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। इसके बाद, अदालत ने इस प्रकार फैसला सुनायाः

" 2. हमने निर्धारिती के विद्वान वकील को सुना है। एक बार

निर्धारिती ने कारखाने के द्वार से माल को हटाने के समय उसके द्वारा बताए गए वर्गीकरण और मूल्य पर माल को मंजूरी दे दी है, निर्धारिती उस तारीख और समय पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है और बाद में किसी भी कारण से कीमतों में कमी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए चिंता का विषय नहीं हो सकती है। जहां
तक उत्पाद शुल्क के भुगतान के दायित्व का संबंध है, विभाग। यह वह दृष्टिकोण है जो न्यायाधिकरण ने इंडो हैक्स लिमिटेड बनाम सीसीई (1986) 25 ईएलटी 69 (जनजाति) के मामले में लिया था और हमें ऐसा लगता है कि न्यायाधिकरण का विचार है कि शुल्क उस दर और मूल्य पर प्रभार्य है जब वस्तु को कारखाने के द्वार पर मंजूरी दी जाती है न कि बाद की तारीख में कम की गई कीमत पर।

अतुलनीय है। इसके अलावा, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से देखा गया है, वस्तु की कीमतों में बाद में उतार-चढ़ाव की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है, जहां तक उत्पाद शुल्क मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भुगतान करने की देयता है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

कम कीमत की सीमा तक। ऐसा होने पर, हम निर्धारिती द्वारा की गई इस अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और उसी के साथ खारिज करते हैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

10. हम तुरंत एक विशेषता देख सकते हैं जो अलग है। में

एम. आर. एफ. मामला उस समय जब माल को हटा दिया गया था, कीमतें तय की गई थीं और निर्धारिती या विभाग के लिए मूल्य संशोधन पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

नीचे की ओर। कीमत अस्थायी नहीं थी। इसलिए, हम सोचेंगे कि संदर्भ आदेश के पैराग्राफ 21 में उल्लिखित दो स्थितियों में से पहली स्थिति एम. आर. एफ. मामले में प्राप्त निर्णय के तथ्यों के साथ तुलनीय होगी। जहां कीमत तय की गई है, वहां निर्धारिती के लिए धनवापसी की मांग करने का कोई अवसर नहीं होगा, लेकिन यहां हमारे सामने मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि मामला पहले के तहत नहीं आता है।

अपीलार्थियों के अनुसार भी श्रेणी। यह कहा जा सकता है कि कीमत

मूल्य वृद्धि खंड के संचालन के आधार पर भिन्नता के अधीन था। अब हमारे लिए अधिनियम के तहत वैधानिक ढांचे और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों पर विचार करने का समय आ गया है। अधिनियम की धारा 2 (एच) बिक्री और खरीद को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

2 (ज) "बिक्री" और "खरीद", उनके व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, एक व्यक्ति द्वारा व्यापार या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल के कब्जे का किसी भी हस्तांतरण का अर्थ है।

11. दिलचस्प बात यह है कि माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की परिभाषा के विपरीत, अधिनियम के तहत "बिक्री" कब्जे के हस्तांतरण पर होती है। हालाँकि, हमें आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वर्तमान मामलों के लिए आवश्यक नहीं है। सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन है। 2000 के वित्त अधिनियम के तहत 1.7.2000 से प्रभावी, अधिनियम की धारा 4 जो हमारे मामले के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नानुसार हैः

" 4. शुल्क प्रभारित करने के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन

(1) जहाँ इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क किसी पर लगाया जाता है।

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ उनके मूल्य के संदर्भ में, फिर, प्रत्येक हटाने पर माल का ऐसा मूल्य -

(क) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती द्वारा माल बेचा जाता है, के लिए

हटाने के समय और स्थान पर वितरण, निर्धारिती और

माल का खरीदार संबंधित नहीं है और कीमत एकमात्र है

(ख) किसी भी अन्य मामले में, उस मामले सहित जहां माल है बेचा नहीं जाता है, मूल्य इस तरह से निर्धारित किया जाता है जो हो सकता है

निर्धारित किया गया

(2) इस धारा के प्रावधान किसी भी मामले में लागू नहीं होंगे।

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ जिनके लिए शुल्क मूल्य निर्धारित किया गया है धारा 3 की उप-धारा (2)।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए,

(क) "निर्धारिती" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क और उसके एजेंट शामिल हैं;

(ख) XXX

XXX

XXX

((c) XXX

XXX

XXX

(घ) "लेन-देन मूल्य" से वास्तव में भुगतान या देय मूल्य अभिप्रेत है।

माल के लिए, जब बेचा जाता है, और राशि के अतिरिक्त शामिल होता है

या निर्धारिती की ओर से, कारण से या उसके संबंध में बिक्री के साथ, चाहे वह बिक्री के समय देय हो या किसी भी समय

अन्य समय, जिसमें कोई भी राशि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है

और संगठन के खर्चों को बेचना, भंडारण, बाहरी संचालन, सेवा, वारंटी, कमीशन या कोई अन्य मामला; लेकिन करता है

उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य शुल्क की राशि शामिल नहीं है।

ऐसे माल पर कर, यदि कोई हो, वास्तव में भुगतान किया गया या वास्तव में देय है।

12. धारा 11 ए को वर्ष 1980 में जोड़ा गया था और इसके तहत

जी. एस. अधिनियम की धारा 11 ए, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर थी, के रूप में पढ़ी जाती है

वीएसः

" 11 ए. शुल्कों की वसूली जो नहीं लगाए गए या भुगतान नहीं किए गए या कम लगाए गए या

शॉट-भुगतान या गलती से वापस किया गया-(1) जब कोई उत्पाद शुल्क

भारत लिमिटेड की स्टील प्राधिकरण पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या उसका भुगतान नहीं किया गया है या उससे कम शुल्क लिया गया है या उससे कम भुगतान किया गया है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

मामला इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क की दर या मूल्य निर्धारण से संबंधित किसी भी अनुमोदन स्वीकृति या मूल्यांकन के आधार पर हो सकता है। इसके तहत, एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, प्रासंगिक तिथि से [एक वर्ष] के भीतर, उस शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस दे सकता है जो लगाया या भुगतान नहीं किया गया है या जो कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या जिसे धनवापसी गलती से की गई है, जिससे उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिएः

बशर्ते कि जहां कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया हो या

धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत बयान के कारण भुगतान किया गया है या कम कर दिया गया है या भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है या

तथ्यों का दमन, या ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, इस उप-धारा के प्रावधानों का प्रभाव होगा [जैसे, [एक वर्ष] शब्दों के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द रखे गए थे।

[बशर्ते कि जहां शुल्क की राशि जो नहीं लगाई गई है या भुगतान नहीं की गई है या कम लगाई गई है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस की गई है, इस उप-धारा के तहत एक करोड़ रुपये या उससे कम का नोटिस केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा उसके पूर्व अनुमोदन के साथ दिया जाएगाः

बशर्ते कि जहां शुल्क की राशि जो नहीं लगाई गई है या भुगतान नहीं की गई है या कम लगाई गई है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस की गई है, वह एक करोड़ रुपये से अधिक है, तो इस उप-धारा के तहत कोई भी नोटिस केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना जारी नहीं किया जाएगा।] (2) [केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी], उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, जिस पर नोटिस दिया गया है, पर विचार करने के बाद

उप-धारा (1) के तहत, ऐसे व्यक्ति से देय उत्पाद शुल्क की राशि (सूचना में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होना) निर्धारित करें और उस पर ऐसा व्यक्ति इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।

(3)

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, [2019] एस. सी. आर.

(i) "धनवापसी" में उत्पाद शुल्क की छूट शामिल है।

भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण; ((ख) "सुसंगत तिथि" का अर्थ है -

[(क) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है -

(ए) जहां इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत एक आवधिक विवरणी, जिसमें उस अवधि के दौरान हटाए गए उत्पाद शुल्क का विवरण दिखाया गया है, जिसमें उक्त विवरणी संबंधित है, एक निर्माता या निर्माता या गोदाम के लाइसेंसधारी द्वारा दाखिल की जानी है, जैसे -

मामला वह तारीख हो सकती है जिस दिन ऐसी विवरणी इस प्रकार दाखिल की जाती है;

(बी) जहां उपरोक्त के रूप में कोई आवधिक विवरणी दाखिल नहीं की जाती है, वह अंतिम तिथि जिस पर ऐसी विवरणी दाखिल की जानी है

कहा गया नियम;

((ग) किसी अन्य मामले में, वह तिथि जिस पर शुल्क लगाया जाना है।

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत भुगतान किया गया;]

13. धारा 11 एबी निस्संदेह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण खंड है।

मामला संबंधित है। धारा 11 ए. बी. निम्नानुसार हैः

" 11 एबी। शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज-(1) जहां कोई

उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है।

या गोली-भुगतान या धोखाधड़ी, मिलीभगत के कारण गलती से वापस किया गया

या कोई जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन, या

इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन

शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इसके तहत किया गया, व्यक्ति

धारा की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

11 क, शुल्क के अतिरिक्त, ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दर अठारह प्रतिशत से कम नहीं और छत्तीस प्रति प्रतिशत से अधिक नहीं

प्रतिशत, प्रति वर्ष, जैसा कि केंद्र द्वारा अभी निर्धारित किया जा रहा है

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा], पहले से

उस महीने के बाद के महीने का दिन जिसमें कर्तव्य होना चाहिए

इस तरह के गलत धनवापसी की तारीख से, जैसा भी मामला हो, लेकिन धारा 11क की उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों के लिए, ऐसे शुल्क के भुगतान की तारीख तक।

एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि

उप-धारा (1) के प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां -

विधेयक, 1996 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। स्पष्टीकरण 1 और 2 को नहीं निकाला गया है।

14. अब केंद्र के तहत कुछ नियमों पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है।

से नियम, 2002। नियम 4,5,6,7 और 8 निम्नानुसार हैं:

" नियम 4. हटाने पर देय शुल्क।

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी उत्पाद शुल्क का उत्पादन या निर्माण करता है। माल, या जो ऐसे सामान को गोदाम में संग्रहीत करता है, उसे भुगतान करना होगा

नियम 8 में दिए गए तरीके से ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क या

किसी अन्य कानून के तहत, और कोई उत्पाद शुल्क नहीं, जिस पर कोई शुल्क है देय, किसी भी स्थान से शुल्क के भुगतान के बिना हटा दिया जाएगा,

जहाँ उनका उत्पादन या निर्माण किया जाता है, या गोदाम से,

जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है: प्रोविसो और स्पष्टीकरण को हटा दिया गया।

(1ए)

XXX

XXX

XXX

गुड़ का उत्पादन एक खंडसारी चीनी कारखाने में किया जाता है, व्यक्ति ऐसे गुड़ को कौन खरीदता है, चाहे वह सीधे ऐसे कारखाने से हो।

या अन्यथा, किसी भी वस्तु के निर्माण में उपयोग के लिए, चाहे या प्रभार्य नहीं है, ऐसे गुड़ पर देय शुल्क का भुगतान करेगा,

जिस तरह से इस तरह के गुड़ का उत्पादन किया गया है खरीददार।

(3) हटा दिया गया।

(4)

XXX

XXX

XXX

नियम 5. शुल्क और प्रशुल्क मूल्यांकन के निर्धारण की तिथि।

खंडसरी गुड़ के अलावा अन्य वस्तुओं का मूल्य होगा उस तारीख को बल जब इस तरह के सामान को कारखाने से हटा दिया जाता है

या एक गोदाम, जैसा भी मामला हो।

(2) खंडसरी गुड़ के मामले में शुल्क की दर,

इस प्रकार के गुड़ की प्राप्ति की तारीख को लागू दर

ऐसे गुड़ के खरीददार का कारखाना।

स्पष्टीकरण। - यदि कारखाने के भीतर किसी भी उत्पाद शुल्क का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे माल को हटाने की तारीख का अर्थ उस तारीख से होगा जिस दिन इस तरह के उपयोग के लिए माल जारी किया जाता है। (3) छोड़ दिया गया।

बशर्ते कि सिगरेट के मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अधीक्षक या निरीक्षक निर्धारिती द्वारा हटाने से पहले देय शुल्क का आकलन करेगा। अनंतिम मूल्यांकन। नियम 7. अनंतिम मूल्यांकन।

(1) जहां निर्धारिती उत्पाद शुल्क का मूल्य निर्धारित करने या उस पर लागू शुल्क की दर निर्धारित करने में असमर्थ है, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त से अनुरोध कर सकता है या केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, अनंतिम आधार पर शुल्क के भुगतान के लिए कारण बताते हुए लिखित रूप में और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर या अनंतिम आधार पर शुल्क के भुगतान की अनुमति देने का आदेश दे सकता है।

ऐसा मूल्य जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) अनंतिम आधार पर शुल्क के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, यदि निर्धारिती बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऐसी जमानत या प्रतिभूति के साथ ऐसी राशि का बांड निष्पादित करता है जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या उप

मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक प्रासंगिक जानकारी के बाद, जितनी जल्दी हो सके, अंतिम मूल्यांकन के लिए आदेश उपलब्ध है, लेकिन उप-नियम (1) के तहत जारी आदेश के संचार की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के भीतरः बशर्ते कि इस उप-नियम में निर्दिष्ट अवधि, पर्याप्त कारण दिखाए जाने और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो सकती है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा छह महीने से अधिक की अवधि के लिए और मुख्य आयुक्त द्वारा बढ़ाया गया

केंद्रीय उत्पाद शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त की ऐसी आगे की अवधि के लिए जो वह उचित समझे।

(4) निर्धारिती उप-नियम (3) के तहत अंतिम मूल्यांकन के आदेश के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को देय किसी भी राशि पर धारा 11 एए या धारा 11 एबी के तहत अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जिस महीने के लिए ऐसी राशि निर्धारित की जाती है, उसके बाद के महीने के पहले दिन से भुगतान की तारीख तक

वहाँ से।

(5) जहाँ निर्धारिती आदेश के परिणामस्वरूप धनवापसी का हकदार है।

उप-नियम (3) के तहत अंतिम मूल्यांकन के लिए, उप-नियम (6) के अधीन, ऐसे धनवापसी पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है। अधिनियम की धारा 11 खख उस महीने के बाद के महीने के पहले दिन से, जिसके लिए ऐसा धनवापसी निर्धारित की जाती है, धनवापसी की तारीख तक।

(6) . उप-नियम (3) के तहत निर्धारित धनवापसी की कोई भी राशि निधि में जमा की जाएगीः

(क) निर्माता द्वारा भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क, यदि उसने इस तरह के शुल्क की घटना को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया था; या (ख) क्रेता द्वारा वहन किया जाने वाला उत्पाद शुल्क, यदि उसने ऐसे शुल्क की घटना को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया था।

नियम 8. भुगतान का तरीका।

(1) एक महीने के दौरान कारखाने या गोदाम से हटाए गए माल पर शुल्क का भुगतान अगले महीने के 5 वें दिन तक किया जाएगाः बशर्ते कि मार्च महीने के दौरान हटाए गए माल के मामले में, शुल्क का भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगाः

बशर्ते कि जहां कोई निर्धारिती किसी वित्तीय वर्ष में मंजूरी के मूल्य के आधार पर अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठा रहा है, वहां कैलेंडर [2019] 7 एस. सी. आर. के दौरान माल पर शुल्क हटा दिया जाता है।

महीने का भुगतान अगले महीने के 15 वें दिन तक किया जाएगा, सिवाय इसके कि

मार्च महीने के दौरान हटाए गए माल के मामले में जिसके लिए शुल्क का भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगा।

व्याख्या-निकाला नहीं गया

(1 ए)

***

***

***

(2) उत्पाद शुल्क के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा

हटाने योग्य वस्तुओं पर इन नियमों के उद्देश्य

अनुमत, जैसा कि किसी भी नियम द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है। (3) यदि निर्धारिती नियत तिथि तक शुल्क की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है,

वह बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

दो प्रतिशत प्रति माह या एक रुपये की दर से ब्याज

प्रति दिन हजार, जो भी अधिक हो, से शुरू होने वाली अवधि के लिए

देय तिथि के बाद पहला दिन वास्तविक भुगतान की तारीख तक

बकाया राशिः बशर्ते कि इसके संदर्भ में देय ब्याज की कुल राशि

उप-नियम शुल्क की राशि से अधिक नहीं होगा जो नहीं किया गया है

नियत तिथि तक भुगतानः

बशर्ते कि उस समय तक बकाया शुल्क की राशि

और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, यह माना जाएगा

कि वह माल जिसके संबंध में शुल्क और ब्याज

बकाया हैं, शुल्क का भुगतान किए बिना प्रभारित किए गए हैं, और

जहाँ ऐसे शुल्क और ब्याज का भुगतान एक अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

नियत तारीख से महीना, परिणाम और दंड के रूप में

इन नियमों में दिए गए प्रावधानों का पालन होगा।

नियम 6 के तहत निर्धारित शुल्क की वसूली और ब्याज उप-नियम (3) के तहत उसी तरीके से जैसे वे लागू होते हैं

केंद्र को देय किसी शुल्क या अन्य राशि की वसूली

सरकार "।

15. उत्पाद शुल्क माल के निर्माण या उत्पादन पर एक शुल्क है।

अब तक, माल को हटाने के बिंदु पर एकत्र किया जाता है। जब माल के मूल्य के संदर्भ में शुल्क देय होता है, तो धारा 4 में कहा गया है कि माल के प्रत्येक हटाने पर, भारत लिमिटेड की मेसर्स स्टील अथॉरिटी का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

या तो खंड (ए) या खंड (बी) के तहत। हम इन मामलों में खंड (ए) द्वारा शासित हैं। धारा (4) निम्नलिखित तत्वों को प्रस्तुत करती हैः -

((i) जब माल बेचा जाता है;
((ख) वितरण के लिए;

((ग) हटाने के समय और स्थान पर;
((iv) निर्धारिती (इन मामलों में अपीलार्थी निर्धारिती हैं)

और खरीदार संबंधित नहीं है;

(v) बिक्री के लिए एकमात्र विचार मूल्य है, फिर उत्पाद शुल्क के निर्धारण के लिए लेनदेन मूल्य मूल्य होगा।

कीमत वह हो सकती है जिसका वास्तव में भुगतान किया जाता है या जिसके लिए भुगतान किया जाता है।

माल जब बेचा जाता है।

मूल्य के रूप में दिखाए गए लेनदेन मूल्य के अलावा

इसमें शामिल होंगेः
(i) कोई भी राशि जो खरीदार बिक्री के कारण या उसके संबंध में निर्धारिती को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह उस समय हो।

बिक्री या किसी अन्य समय।

((ii) बिक्री के कारण या उसके संबंध में निर्धारिती की ओर से देय कोई भी राशि, चाहे वह बिक्री के समय हो या किसी अन्य समय पर।

(iii) उपरोक्त राशियों में कुछ राशियाँ शामिल हैं जो विशेष रूप से गणना की गई हैं, अर्थात् विज्ञापन, प्रचार, विपणन और बिक्री, संगठनात्मक व्यय, भंडारण,

बाहरी संचालन सेवा, वारंटी, कमीशन या कोई अन्य

बात है।

16. इस प्रकार, इरादा न केवल शामिल करके मूल्य निर्धारित करना है

17. अब इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नियमों के प्रभाव को देखने का समय आ गया है। नियम 4 'देय शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत आता है। हटाना '। यह विचार किया गया है कि माल पर शुल्क का भुगतान नियम 8 के तहत या किसी भी कानून के तहत प्रदान किए गए तरीके से किया जाना है। उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना किसी भी उत्पाद शुल्क को हटाया नहीं जा सकता है, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। यह हमें नियम 8 पर ले जाएगा क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई अन्य कानून लागू हो। नियम 8 'तरीका [2019] 7 एस. सी. आर.' शीर्षक के तहत।

भुगतान 'घोषणा करता है कि एक महीने के दौरान कारखाने से हटाए गए माल आदि पर शुल्क का भुगतान अगले महीने के 5 वें दिन तक किया जाएगा। हालांकि मार्च के महीने में हटाने के लिए भुगतान करने का दायित्व होगा

31 मार्च का पहला दिन। नियम 8 के उप-नियम 3 में निर्धारिती के साथ दायित्व का प्रावधान है जो नियत तिथि तक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। उप नियम 4 ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को संदर्भित करता है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि 'नियत तिथि' अभिव्यक्ति उस महीने के बाद महीने का 5 वां दिन होगा जिसके दौरान

मार्च महीने के दौरान हटाए गए माल के संबंध को छोड़कर माल को हटा दिया जाता है, जिस स्थिति में नियत तिथि 31 मार्च होगी।

18. नियमों की योजना आगे यह है कि मूल्यांकन स्वयं निर्धारिती द्वारा स्व-मूल्यांकन और नियत तिथि तक भुगतान किए गए शुल्क के माध्यम से किया जाना है (नियम 6 देखें)। क्या होगा जब निर्धारिती को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब वह माल का मूल्य निर्धारित करने या शुल्क की दर का पता लगाने में असमर्थ होता है। नियम 7 समाधान प्रदान करता है। निर्धारिती इसके तहत कारण बताते हुए आवेदन कर सकता है और अस्थायी मूल्यांकन करने की अनुमति ले सकता है। अधिकारी ऐसी अनुमति दे सकता है। इसके बाद अस्थायी आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाता है। मूल्य या दर को अधिकारी द्वारा इस तरह की अस्थायी अनुमति देने वाले आदेश में इंगित किया जाएगा। मूल्यांकन। हालाँकि, यह निर्धारिती द्वारा अंतिम मूल्यांकन और अनंतिम मूल्यांकन के तहत देय शुल्क के बीच के अंतर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती को बाध्य करने वाले बांड को निष्पादित करने के अधीन किया जाता है। अंतिम मूल्यांकन की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाना है

नियम 7 (1) के तहत अस्थायी मूल्यांकन की अनुमति देने वाले आदेश का संचार। आयुक्त द्वारा अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है।

और मुख्य आयुक्त द्वारा जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं है।

नियम 7 का उप-नियम (4) बहुत महत्वपूर्ण है। यह निम्नानुसार प्रदान करता हैः

1) निर्धारिती ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

2) अंतिम निर्धारण के आधार पर देय किसी भी राशि पर

नियम 7 (3)

3) धारा 11 ए या धारा 11 बी के तहत निर्धारित दर पर

अधिनियम

4) जिस महीने के लिए राशि निर्धारित की जाती है, उसके बाद के महीने की पहली तारीख से भुगतान की तारीख तक

वहाँ से।

नियम 7 (5) अंतिम भुगतान के आधार पर धनवापसी पर ब्याज पर विचार करता है।

मूल्यांकन।

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

19. अब यह महत्वपूर्ण है कि हम आयुक्त के समक्ष सेल के मामले, अपील में उसके रुख और अंत में इस न्यायालय के समक्ष विचार करें। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि सेल ने दिनांक 24/04/2005 के मूल्य परिपत्र के आधार पर भारतीय रेलवे को रेल बेचे और उन्हें मंजूरी दी। विचाराधीन लेन-देन जुलाई, 2006 की अवधि 01/01/2005 से संबंधित है। बाद में, एक संशोधित मूल्य परिपत्र दिनांक 20/07/2006 के आधार पर, कीमतों को संशोधित किया गया और यह 01/01/2005 से प्रभावी हुआ। उत्पाद शुल्क निस्संदेह रुपये की राशि में है। 142.78 अगस्त 2006 में सेल द्वारा करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि, अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत नोटिस प्राप्त होने पर उसे रुपये से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। 15 धारा 11 एबी के तहत ब्याज के रूप में रु। सेल ने विभिन्न प्रकार की उगाही की

आपत्तियाँ। वास्तव में, इसने तर्क दिया कि यह शुल्क के कम भुगतान का मामला नहीं है क्योंकि माल को वास्तविक रूप से हटाने के समय कीमत ही वह आधार है जिसके लिए शुल्क का विधिवत भुगतान किया गया था। यह अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। विभाग के मामले का खंडन करते हुए, यह तर्क दिया गया कि यह नियम 7 के तहत अस्थायी मूल्यांकन का सहारा लेने के लिए उत्तरदायी नहीं था। द.

हालांकि, आयुक्त का मानना था कि सेल द्वारा मूल रूप से दिखाई गई कीमत स्वयं अस्थायी थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें निर्धारिती को नियम 7 को लागू करना चाहिए था और अस्थायी मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में, निर्धारिती सेल ने अपनी दलील जारी रखी कि वह वास्तव में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था

अंतर कर्तव्य। न्यायाधिकरण, जैसा कि एस. के. एफ. मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद पहले ही नोटिस किया गया था, जो उस समय तक दिया गया था, निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया। हालाँकि, मामले को इस पीठ को भेजने वाली पीठ के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे वास्तव में अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। हमने उस स्थिति पर ध्यान दिया है जिसे इस न्यायालय द्वारा संदर्भ आदेश के पैराग्राफ 21-22 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है।

20. जे. के. सिंथेटिक्स में इस न्यायालय के निर्णय पर अपीलार्थियों द्वारा बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है। पहला निर्णय इसका निर्णय है।

एसोसिएटेड सीमेंट में अदालत। उक्त निर्णय तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। राय का एक विभाजन था। न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया, उनके प्रभु के रूप में तब बहुमत का फैसला लिखा गया था। न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को उनके स्वामी के रूप में तब असहमत किया गया था। यह मामला राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के तहत सामने आया है। उक्त पीठ द्वारा विचार किए गए क़ानून के तहत ध्यान देने योग्य दो प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम की धारा 7 और धारा 11 बी हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 7. विवरणी प्रस्तुत करना। - (1) प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता और ऐसे अन्य विक्रेता, जिन्हें निर्धारण प्राधिकरण [2019] 7 एस. सी. आर. द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है।

निर्धारित तरीके से दी गई सूचना द्वारा, निर्धारित अवधि के लिए, निर्धारित प्रपत्रों में, निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करेगाः

(2) इस तरह के प्रत्येक विवरणी के साथ राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की कोषागार रसीद या रसीद होगी, जिसमें राज्य सरकार के कोषागार या संबंधित बैंक में विवरणी के आधार पर देय कर की पूरी राशि जमा की जाएगी। (2क) उप-धारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी भी विक्रेता या विक्रेता वर्ग की आवश्यकता कर सकती है। उसमें, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित अंतराल से कम अंतराल पर कर का भुगतान करना। ऐसे मामलों में, अंतिम विवरणी के आधार पर आनुपातिक कर विवरणी से पहले उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अंतराल पर जमा किया जाएगा। विवरणी और भुगतान किए गए अग्रिम कर के अनुसार देय कर का अंतर, यदि कोई हो, विवरणी के साथ जमा किया जाएगा और विवरणी के साथ राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की ट्रेजरी रसीद या रसीदें भी होंगी, जो विवरणी में दर्शाई गई कर की पूरी राशि होगी।

" 11 - बी. कर, शुल्क या जुर्माने का भुगतान करने में विफलता पर ब्याज-(ए) यदि धारा 7 की उप-धारा (2) और (2-ए) के तहत देय किसी भी कर की राशि का भुगतान अनुमत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, या (ख) यदि किसी भी मांग सूचना में निर्दिष्ट राशि, चाहे वह कर, शुल्क या जुर्माने के लिए हो, का भुगतान ऐसे मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

नोटिस, या इस तरह के विनिर्देश के अभाव में, इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर, विक्रेता तीन महीने की अवधि के लिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले दिन से प्रति माह एक प्रतिशत पर और उसके बाद डेढ़ प्रतिशत प्रति माह पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
भुगतान;

बशर्ते कि, जहां इस अधिनियम के तहत किसी आदेश के परिणामस्वरूप, वह राशि, जिस पर इस धारा के तहत ब्याज देय था, कम कर दी गई है, ब्याज तदनुसार कम कर दिया जाएगा और भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि इस धारा के तहत ऐसी राशि पर और ऐसी अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा जिसके संबंध में धारा 11 और 14 के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान किया जाता है।

नियम 11 ख का खंड (क) और खंड (ख)। न्यायमूर्ति भगवती ने अपनी असहमति में बहुमत के तर्क के पीछे की विसंगति की ओर इशारा किया। विशेष रूप से, हम यह इंगित कर सकते हैं कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया था कि यदि बहुमत के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो विभिन्न चरणों में ब्याज की अलग-अलग दरें लागू होंगी। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि एक निर्धारिती रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान करने से आगे कुछ नहीं कर सकता है। वह संभवतः यह नहीं बता सकता कि मूल्यांकन अधिकारी अंततः उसका क्या आकलन करेगा। वास्तव में, जे. के. सिंथेटिक्स में बाद के फैसले में, संविधान पीठ ने ए. सी. सी. लिमिटेड मामले में असहमतिपूर्ण फैसले में व्यक्त विचार को स्वीकार किया, जिसे उसने कानून में सही स्थिति निर्धारित करने के रूप में स्वीकार किया और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी मामले में बहुमत को खारिज कर दिया। जेके में सिंथेटिक्स का फैसला भी राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के तहत आया, हालांकि यह धारा 7 (2) (ए) के तहत आया था। एसोसिएटेड सीमेंट मामले में मामला अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत आता है। हमारे उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह दो पहलू हैं। एक यह है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि

राजस्थान कर कानून के वास्तविक प्रावधान जो विचार के लिए पड़े [2019] 7 एस. सी. आर.

हम पहले ही तय कर चुके हैं। हमें उस कानून का प्रचार करना चाहिए जो जेके सिंथेटिक्स में निर्धारित किया गया है। चर्चा इस प्रकार हैः

" 16. यह सर्वविदित है कि जब कोई कानून कोई कर लगाता है तो वह ऐसा एक प्रभार अनुभाग जोड़कर करता है जिसके द्वारा देयता बनाई या तय की जाती है।

और फिर दायित्व को प्रभावी बनाने के लिए मशीनरी प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए, यह प्रभार अनुभाग द्वारा पहले से ही निर्धारित देयता के मूल्यांकन के लिए तंत्र प्रदान करता है, और फिर चूककर्ताओं से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधानों सहित कर की वसूली और संग्रह के लिए साधन प्रदान करता है। प्रावधान भी है

विलंबित भुगतान आदि पर ब्याज वसूलने के लिए किया गया। आम तौर पर देयता को तय करने वाले प्रभार अनुभाग का सख्ती से अर्थ लगाया जाता है। लेकिन सख्त निर्माण का वह नियम मशीनरी तक विस्तारित नहीं है

ऐसे प्रावधान जिनका किसी अन्य क़ानून की तरह ही अर्थ लगाया जाता है। द.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मशीनरी के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए जैसे कि

कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी करें और उसे पराजित न करें। (व्हिटनी वी. देखें। आई. आर. सी. [1926 एसी 37: 42 टीएलआर 58] सी. आई. टी. वी. महलिराम रामजिदा [(1940) 8 आई. टी. आर. 442: एयर 1940 पीसी 124: 67 आई. ए. 239], इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड बनाम। अतिरिक्त लाभ कर आयुक्त, बॉम्बे [(1955) 1 एस. सी. आर. 810: ए. आई. आर 1955 एस. सी 79: (1955) 27 आई. टी. आर. 20] और गुरसाहई सहगल बनाम। सीआईटी, पंजाब

[(1963) 3 एससीआर 893: ए. आई. आर. 1963 एससी 1062: (1963) 48 आईटीआर 1])। लेकिन यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि जिस प्रावधान के द्वारा प्राधिकरण है

ब्याज लगाने और एकत्र करने के लिए सशक्त, भले ही के रूप में माना जाता है

मशीनरी प्रावधानों का हिस्सा बनाना, के लिए मूल कानून है

सरल कारण यह है कि अनुबंध या उपयोग के अभाव में ब्याज कानून के तहत लगाया जा सकता है और इसकी वसूली के माध्यम से नहीं की जा सकती है

राशि को गलत तरीके से रोके रखने के लिए नुकसान। (बंगाल देखें।

नागपुर रेलवे कं. लिमिटेड बनाम रत्तनजी रामजी [ए. आई. आर. 1938 पी. सी. 67]

: 65 आई ए 66: 67 सी. एल. जे. 153] और भारत संघ बनाम ए. एल. रालिया

राम [(1964) 3 एससीआर 164,185-90: ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1685]। हालाँकि, श्री सेन ने दो मामलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन मामलों में भी, सी. आई. टी. बनाम. एम. चंद्र

शेखर [(1985) 1 एससीसी 283: 1985 एससीसी (कर) 85: (1985) 151 आई. टी. आर. 433] और मध्य प्रांत मैंगनीज अयस्क कंपनी लिमिटेड v. सीआईटी [(1986) 3 एससीसी 461: 1986 एस. सी. सी. (कर) 601: (1986) 160 आई. टी. आर. 961], अदालत ने केवल इतना ही बताया कि ऐसा लगता है कि राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ब्याज वसूलने का प्रावधान पेश किया गया था।

देरी के कारण। लेकिन तब भारत लिमिटेड के एस स्टील प्राधिकरण के बल पर ब्याज लिया जाता था।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

वैधानिक प्रावधान, इसका उद्देश्य कर के भुगतान में देरी के लिए राजस्व की भरपाई करना हो सकता है। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि किस कारण ने विधानमंडल को ब्याज वसूलने का प्रावधान करने के लिए प्रेरित किया, न्यायालय को इसका वह अर्थ देना चाहिए जो उपयोग की गई भाषा और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से व्यक्त किया जाता है। इसलिए, कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूलने या वसूलने के लिए किसी कानून में किए गए किसी भी प्रावधान को एक मूल कानून के रूप में माना जाना चाहिए। और विशेषण कानून नहीं। कानूनों की व्याख्या के सामान्य नियम को इस तरह से समझते हुए और लागू करते हुए, हम पाते हैं, जैसा कि हमने पहले और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी मामले [(1981) 4 एस. सी. सी. 578 में जे. भगवती द्वारा बताया गया हैः 1982 एस. सी. सी. (कर) 3: (1981) 48 एस. टी. सी. 466], कि यदि राजस्व के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह संघर्ष की ओर ले जाता है और पैदा करता है

कुछ विसंगतियाँ जो विधानमंडल द्वारा कभी भी अभिप्रेत नहीं हो सकती थीं।

विवरणी के आधार पर राज्य सरकार में 'देय कर' का। यही धारा 7 (2) की आवश्यकता है। धारा 7 (2-ए), निस्संदेह, कम अंतराल पर कर के भुगतान की अनुमति देती है लेकिन अंतिम वापसी में दर्शाई गई कर की पूरी राशि जमा करने की आवश्यकता है। जब धारा 11-बी (ए) "देय कर" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।

दो उप-खंडों में। इसलिए, उक्त दो उप-धाराओं के तहत 'देय कर' अभिव्यक्ति देय कर की पूरी राशि है और 'देय कर' वह राशि है जो "रिटर्न में या उसके आधार पर" दिखाए गए कारोबार और कर योग्य कारोबार पर पूर्व परिकल्पना के अनुसार देय हो जाती है। 'देय' शब्द एक वर्णनात्मक शब्द है, जिसका आम तौर पर अर्थ है "वह जिसका भुगतान किया जाना चाहिए या देय है, या भुगतान किया जा सकता है" लेकिन इसका सही अर्थ केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है जब इसका उपयोग उस संदर्भ में किया जाता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। नजर में रखा जाता है। इस शब्द का अर्थ अक्सर यह समझा जाता है कि जो भुगतान किया जा सकता है या किया जाना चाहिए और जिसे 'देय' के बराबर माना जाता है। इसलिए, धारा 7 (1), (2) और [2019] 7 एस. सी. आर. का संयुक्त पठन।

(2 - अधिनियम के ए) और 11-बी में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धारा 11-बी में 'देय कर' का अर्थ केवल उस कर की पूरी राशि से हो सकता है जो सूचना के आधार पर मूल्यांकन करने पर अधिनियम की उप-धारा (2) और (2 ए) के तहत देय हो जाती है।

में प्रस्तुत या दिखाए गए कारोबार और कर योग्य कारोबार के संबंध में

वापसी। इसलिए, जब तक निर्धारिती उस कर का भुगतान करता है जो उसके अनुसार उसके द्वारा दाखिल विवरणी में दी गई जानकारी के आधार पर देय है, तब तक अधिनियम की धारा 7 के तहत अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करने में उसकी ओर से कोई चूक नहीं होगी और इसलिए, यह मानना मुश्किल होगा कि उसके द्वारा देय 'कर' का भुगतान धारा 11-बी के खंड (ए) के तहत ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के साथ उससे मिलने के लिए नहीं किया गया है। यदि प्राधिकरण द्वारा वापसी को मंजूरी नहीं दी जाती है तो यह एक अलग मामला होगा लेकिन यहां ऐसा नहीं है। धारा की सरल भाषा में यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि कानून में निर्धारिती से अंतिम मूल्यांकन की भविष्यवाणी करने और उस आधार पर कर का भुगतान करने की अपेक्षा करने की परिकल्पना की गई है ताकि ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से बचा जा सके। कि

उसे लगभग असंभव काम करने के लिए कहना होगा।

22. संक्षेप में, इसलिए, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लिया जा सकता है कि जबकि ब्याज का उद्ग्रहण विशेषण कानून का एक हिस्सा है, अभी तक नहीं लगाया गया है। ब्याज का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। ब्याज की मांग केवल तभी की जा सकती है जब विधायिका का विशेष रूप से ब्याज संग्रह करने का इरादा हो। हमें वैधानिक प्रावधानों को देखना चाहिए।

23. पुरोलेटर इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय आयुक्त

उत्पाद शुल्क 2015 (10) एस. सी. सी. 715, दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ को इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था कि क्या नकद छूट और व्यापार छूट

लेन-देन मूल्य पर पहुंचने के लिए कटौती की जानी है। पीठ ने 1973 में अपने संशोधन से पहले, 1973 में संशोधन के बाद और वर्ष 2000 में संशोधन के बाद भी अधिनियम की धारा 4 पर विचार किया। मामले पर विस्तृत विचार करने के बाद, पीठ ने न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 14. यह देखा जा सकता है कि धारा 4 के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र, चाहे वह 1973 से पहले हो, 1973 में संशोधन के बाद हो, या 2000 के संशोधन के बाद हो, यह है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को केवल "मूल्य" का निर्धारण "हटाने के समय" करना होता है। धारा 4 की यह मूल विशेषता दो के बाद भी कभी नहीं बदली है। संशोधन। "हटाने के स्थान" में समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि इसे कारखाने या निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य परिसर से गोदामों या एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तक बढ़ाया जा सके।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

जिन डिपो में उत्पाद शुल्क के भुगतान के साथ उत्पाद शुल्क को जमा करने की अनुमति दी गई है या जिन डिपो से ऐसा किया जाता है

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को कारखाने से मंजूरी मिलने के बाद बेचा जाना है। वास्तव में, 2000 से पहले की धारा 4 (2) में यह स्पष्ट किया गया था कि जहां हटाने के स्थान पर डिलीवरी के लिए उत्पाद शुल्क की कीमत ज्ञात नहीं है, और उसका मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, वहां हटाने के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की लागत को ऐसी कीमत से बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धारा के तहत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य केवल हटाने के समय और स्थान पर ही निर्धारित किया जाना है। 2000 में धारा 4 के संशोधन के बाद भी यही योजना जारी है। केवल धारा 4 (2) को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन के नियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000।

*

*

*

*

18. यह देखा जा सकता है कि संशोधित धारा 4 अवधारणा का परिचय देती है।

"लेन-देन मूल्य" का निर्धारण ताकि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के प्रत्येक हटाने पर, ऐसी वस्तुओं का "लेन-देन मूल्य" निर्धारित किया जा सके। जबकि पहले, इस तरह की उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं का मूल्य वह मूल्य था जिस पर इस तरह की वस्तुओं को आम तौर पर थोक व्यापार के दौरान बेचा जाता था, संशोधन के बाद प्रत्येक लेनदेन को स्वयं देखा जाता है। हालांकि, धारा 4 की उप-धारा (3) (डी) में परिभाषित "लेन-देन मूल्य" को "हटाने के समय और स्थान पर वितरण के लिए" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जो सर्वोपरि है वह यह है कि "लेन-देन मूल्य" के आधार पर भी उत्पाद शुल्क का मूल्य केवल हटाने के समय, यानी अपीलार्थी के कारखाने या डिपो से माल की निकासी के समय, जैसा भी मामला हो, होना चाहिए। "वास्तव में भुगतान किया गया या माल के लिए देय, जब बेचा जाता है" अभिव्यक्ति का केवल यह अर्थ है कि माल की कीमत के रूप में जो कुछ भी सहमत होता है, वह मूल्य का आधार है, चाहे वह कीमत का भुगतान किया गया हो, आंशिक रूप से भुगतान किया गया हो, या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया हो। "लेन-देन मूल्य" का आधार

इसलिए यह सहमत संविदात्मक मूल्य है। इसके अलावा, "जब बेचा जाता है" अभिव्यक्ति का अर्थ उस समय को इंगित करना नहीं है जब ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं, बल्कि यह इंगित करना है कि वस्तुएं बिक्री के समझौते का विषय हैं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो निर्धारिती के विद्वान वकील ने जो तर्क दिया है, उसे अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए

जैसे कि नकद छूट एक ऐसी चीज है जिसे [2019] 7 एस. सी. आर. पर "जाना" जाता है।

माल की निकासी से पहले, जो निर्धारिती और उसके खरीदारों के बीच बिक्री के समझौते में निहित है, और इसलिए इस पर पहुंचने के लिए बिक्री मूल्य से कटौती की जानी चाहिए "हटाने के समय" उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य।

25. भारत में कार्बन लिमिटेड और अन्य। बनाम असम राज्य 1997 (6) एस. सी. सी. 479 केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान में देरी हुई। याचिकाकर्ताओं असम बिक्री कर अधिनियम के तहत असम राज्य के बिक्री कर अधिकारियों द्वारा 24 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज देने के लिए कहा गया था। जे. के. सिंथेटिक्स बनाम में संविधान पीठ के फैसले के बाद। सी. सी. ई. (ऊपर) अन्य निर्णयों के बीच, अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ

यह मानते हुए कि केंद्रीय अधिनियम में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत ब्याज के भुगतान की आवश्यकता का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। हालांकि अनुभाग

9 (2) राजस्व द्वारा सेवा में लगाया गया था और उक्त प्रावधान ने केंद्रीय अधिनियम के तहत देय कर के संबंध में केंद्रीय अधिनियम के तहत ब्याज की वसूली करने की किसी भी शक्ति के अभाव को देखते हुए राज्य अधिनियम के तहत ब्याज की वसूली करने की शक्ति का उल्लेख किया था, न्यायालय ने यह विचार लिया कि अपीलार्थी से ब्याज की मांग नहीं की जा सकती है।

आय कर अधिनियम के तहत मामला कानून।

26. अपीलकर्ताओं ने आयकर अधिनियम के तहत इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों से समर्थन प्राप्त करने की मांग की है। ई. डी. सासून एंड कंपनी में लिमिटेड वी. सी. आई. टी. ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 470, अपीलार्थी कंपनी

जो कुछ कंपनियों का प्रबंध अभिकर्ता था, भारत लिमिटेड के मेसर्स स्टील प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हुआ।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

दो कंपनियों के लिए उनकी एजेंसियां। वर्ष 1944 में निष्पादित किए जा रहे परिवहन और हस्तांतरण के औपचारिक विलेखों पर राशि प्राप्त की गई थी। हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा प्राप्त प्रबंध एजेंसी आयोग की पूरी राशि का मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा वर्ष 1945-1946 के लिए हस्तांतरणकर्ताओं की आय के रूप में किया गया था। अपील में हस्तांतरणकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा प्राप्त कमीशन को आनुपातिक आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए और उनका मूल्यांकन संबंधित कंपनियों के प्रबंध एजेंटों के रूप में काम करने की अवधि के दौरान अर्जित कमीशन पर किया जाना चाहिए। कार्यवाही शुरू की गई

अपीलार्थी के विरुद्ध जो संबंधित हस्तांतरण की तारीख से पहले अर्जित कमीशन की राशि के संबंध में आयोग एजेंसी के हस्तांतरणकर्ता थे। स्थानान्तरणकर्ता का मामला अन्य बातों के साथ-साथ यह था कि 1943 की खंडित अवधि के लिए आयोग का कोई भी हिस्सा उनके द्वारा अर्जित नहीं किया गया था। रोजगार अनुबंध एक संपूर्ण अविभाज्य अनुबंध था। न्यायालय को "अर्जित" शब्द के अर्थ पर विचार करना पड़ा जिसका उपयोग आयकर अधिनियम की धारा 4 में किया गया था जो विचार के लिए था। बहुमत का निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार थाः

" 35. यदि इसलिए प्रबंध एजेंसी के निर्माण पर

समझौतों पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सासून ने अपने पक्ष में कोई ऋण बनाया था या कंपनियों से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था क्योंकि हस्तांतरणकर्ताओं के पक्ष में प्रबंध एजेंसियों के हस्तांतरण की तारीख पर उन्हें कोई आय अर्जित नहीं हुई थी। उन्होंने निस्संदेह कंपनियों के प्रबंध एजेंटों के रूप में सेवाएं प्रदान की थीं। टूटी हुई अवधि के लिए। लेकिन जब तक वे अपना प्रदर्शन पूरा नहीं करते। एक वर्ष की निश्चित सेवा अवधि का पूरा होना, जो एक पूर्व शर्त थी कि वे पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करने के हकदार थे, जिसके तहत कंपनियों द्वारा देय कोई भी ऋण उनके पक्ष में नहीं बनाया गया था।

और उन्हें कंपनियों से कोई भुगतान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संबंधित स्थानान्तरण की तारीखों पर उन्हें कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त नहीं हुआ था।

40. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आय का संचय बहुत बाद में उसके निर्धारण या निर्धारिती द्वारा डाले गए खातों पर निर्भर नहीं करता है। खातों को बहुत बाद में बनाया जा सकता है। यह निर्धारिती की सुविधा और स्थिति की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार आय, लाभ या लाभ की राशि का पता बाद में किए जा रहे खातों [2019] 7 एस. सी. आर. पर लगाया जा सकता है।

ऊपर। लेकिन जब खाते इस प्रकार बनाए जाते हैं तो खाते के परिणाम के रूप में निर्धारित आय, लाभ या लाभ को उस प्रभार्य लेखा अवधि में वापस भेज दिया जाता है जिसके दौरान वे अर्जित या उत्पन्न हुए हैं और निर्धारिती निम्नलिखित के संबंध में कर के लिए उत्तरदायी होता है -

त्यागराज चेट्टी एंड कंपनी. [24 आई. टी. आर. 525 पी. 534] आइज़ैक होल्डन एंड संस लिमिटेड बनाम भी देखें। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त [12 टी. सी. 768], और अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम। न्यूकैसल ब्रुअरीज लिमिटेड [12 टी. सी. 927] हालांकि यह निर्धारित किया जाना है कि क्या आय, लाभ या लाभ निर्धारिती को अर्जित किया गया है और यह आवश्यक है कि उसने इसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया होगा या आय, लाभ या लाभ का अधिकार उस पर निहित हो गया है, हालांकि इसका मूल्यांकन स्थगित किया जा सकता है या हालांकि इसका मूल्यांकन स्थगित किया जा सकता है। भौतिकीकरण इस बात पर निर्भर कर सकता है कि खातों को बनाने से आय, लाभ या लाभ दिखाई देगा। यह तर्क कि आय, लाभ या लाभ अंतर्निहित हैं

कंपनी द्वारा प्राप्त बिक्री आय भी हस्तांतरणकर्ताओं की मदद नहीं करती है, क्योंकि प्रबंध एजेंटों का बिक्री आय में कोई हिस्सा या ब्याज नहीं होता है। वे कंपनी के सह-भागीदार नहीं हैं और बिक्री आय का कोई भी हिस्सा उनका नहीं है। न ही यह कहने का कोई आधार है कि

कंपनी व्यवसाय या प्रबंध एजेंटों की किसी भी संपत्ति के लिए न्यासी होती है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रबंध अभिकर्ताओं ने कोई कमीशन प्राप्त करने का अधिकार तब तक प्राप्त कर लिया है जब तक कि वर्ष के अंत में खातों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक शुद्ध लाभ और कमीशन की राशि का निर्धारण नहीं किया जाता है।

कंपनी ने इस प्रकार प्रबंध एजेंटों को निर्धारित किया।

(अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम देखें। लेबस) [(1946) 1 ए. ई. आर. 476 (जेड 3) "।

55. सारी कठिनाई इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि उच्च न्यायालय इस स्थिति के साथ खुद को सुलझा नहीं सका है कि हस्तांतरणकर्ताओं ने पूरे कैलेंडर वर्ष के लिए काम नहीं किया था और फिर भी वे खाते के वर्ष की पूरी आय के हकदार होंगे; जबकि हस्तांतरणकर्ताओं ने टूटी हुई अवधि के लिए काम किया था और फिर भी वे मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होंगे।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

वर्ष के लिए आय में किसी भी हिस्से के लिए वंचित रखा जाएगा। यदि वर्ष की संबंधित अवधियों के दौरान हस्तांतरणकर्ताओं के साथ-साथ हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य को मानदंड माना जाता है तो परिणाम निश्चित रूप से विसंगत होगा। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के तहत वास्तविक परीक्षा यह नहीं है कि क्या हस्तांतरणकर्ताओं और हस्तांतरणकर्ताओं ने वर्ष की किसी विशेष अवधि के लिए काम किया था, बल्कि यह है कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के तहत कोई आय अर्जित हुई थी। प्रभार्य लेखांकन अवधि के भीतर हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता। यह व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या प्रदान की गई सेवाएँ नहीं हैं, बल्कि प्राप्त आय या वह आय है जो प्रभार्य लेखा अवधि के भीतर व्यक्ति को अर्जित हुई है, जो कराधान का विषय है। आय की करयोग्यता या अन्यथा पर विचार करते समय यह दृष्टिकोण का उचित तरीका है और नहीं

खंडित अवधि के लिए किए गए कार्य या आय के स्रोत से प्राप्त अंतिम आय की दिशा में किए गए योगदान पर विचार और न ही कोई न्यायसंगत विचार उस स्थिति में कोई अंतर ला सकते हैं जो पूरी तरह से आयकर अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के प्रावधानों की सख्त व्याख्या पर निर्भर करती है।

27. आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम। ए. गजपति नायडू, मद्रास ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1653, तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ

निम्नलिखित तथ्यात्मक परिदृश्य से निपटना पड़ा। प्रत्यर्थी ने रोटी की आपूर्ति के लिए सरकार के साथ अनुबंध किया था। वह व्यापारिक आधार पर अपने खातों का रखरखाव कर रहा था। देय राशि कुछ समय बाद उनके खाते में जमा कर दी गई। प्रत्यर्थी ने सरकार के समक्ष शिकायत की कि वह घाटे में रोटी की आपूर्ति कर रहा है। इसलिए, सरकार ने नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया जो 1948-1949 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1950-1951 के दौरान उन्हें एक निश्चित राशि मिली। इस राशि को अधिकारी द्वारा शामिल किया गया था मूल्यांकन वर्ष 1951-1952। अपीलार्थी निर्धारिती की दलीलों में से एक यह थी कि उसे अनुबंध के संबंध में राशि प्राप्त हुई थी जिसे वर्ष 1948-1949 में निष्पादित किया गया था और इसलिए इसे मूल्यांकन वर्ष 1951-1952 में शामिल नहीं किया जा सकता था। यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि कर योग्य थी। इसने इस सवाल पर विचार किया कि क्या वर्ष 1951-1952 में निर्धारिती का सही मूल्यांकन किया गया था। इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और यह विचार लिया कि प्रतिवादी-निर्धारिती का वर्ष 1951-1952 में सही मूल्यांकन किया गया था। इसने ई. डी. ससून एंड कंपनी के मामले को संदर्भित किया। लिमिटेड वी. सी. आई. टी. (उपरि) जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 8. इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई इस परिभाषा के तहत, एक आय तब अर्जित होती है या उत्पन्न होती है जब निर्धारिती उसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। यह आम बात है कि दो प्रमुख विधियाँ हैं -

व्यवसाय की आय, लाभ और लाभ के लिए लेखांकन-एक नकद आधार है और दूसरा, व्यापारिक आधार है। लेखांकन की बाद की प्रणाली "जो तुरंत देय है उसे क्रेडिट में लाती है

यह कानूनी रूप से देय हो जाता है और वास्तव में प्राप्त होने से पहले; और यह डेबिट व्यय में वह राशि लाता है जिसके लिए वास्तव में वितरित होने से पहले कानूनी दायित्व वहन किया गया है। बही लाभ कर के आकलन के उद्देश्य से लिया जाता है, हालांकि क्रेडिट राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या डेबिट राशि वास्तव में वितरित नहीं की जाती है। यदि कोई आय किसी विशेष वर्ष के भीतर अर्जित होती है, तो इसका मूल्यांकन बाद के वर्ष में किया जा सकता है। किसी अनुबंध के तहत राशि प्राप्त करने का अधिकार निर्धारिती को कब प्राप्त होता है या वह कब अस्तित्व में आता है? यह किसी विशेष अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है। अधिनियम का कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है-क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है-जो एक अपवाद प्रदान करता है कि हालांकि एक निर्धारिती किसी विशेष लेखा वर्ष में एक अनुबंध के तहत आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं करता है, कुछ काल्पनिक रूप से अनुबंध के संबंध में उसके द्वारा बाद के वर्ष में प्राप्त राशि, हालांकि पिछले वर्ष में उसे अर्जित अधिकार से उत्पन्न नहीं होती है, पिछले वर्ष से संबंधित हो सकती है और उस वर्ष की आय के साथ कर योग्य बनाई जा सकती है। लेकिन उस कानूनी स्थिति तक पहुंचने की कोशिश तर्क की एक प्रक्रिया द्वारा की जाती है जो अंग्रेजी अदालतों के पक्ष में पाई जाती है। यह कहा जाता है कि उचित वाणिज्यिक लेखांकन प्रथा के आधार पर, यदि कोई लेन-देन किसी विशेष वर्ष में होता है, तो उसके संबंध में जो कुछ भी अर्जित हुआ है, वह लेनदेन के वर्ष से संबंधित होना चाहिए और उस परिणाम तक पहुंचने के उद्देश्य से बंद खातों को फिर से खोला जा सकता है। चाहे यह सिद्धांत अंग्रेजी कानून में उचित हो, भारतीय आयकर अधिनियम के तहत इसका कोई स्थान नहीं है। जब कोई आयकर अधिकारी किसी विशेष आय को इसमें शामिल करने के लिए आगे बढ़ता है

निर्धारण के लिए, उसे खुद से दो प्रश्न पूछने चाहिए, अर्थात्, (i) निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा प्रणाली क्या है? और (ii) यदि यह लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली है, तो

मानित प्रावधान, उस राशि को प्राप्त करने का अधिकार कब है? यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसा अधिकार किसी विशेष लेखा वर्ष में निर्धारिती को अर्जित या उत्पन्न हुआ है, तो वह उक्त आय को भारत की उत्तरवर्ती स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के मूल्यांकन में शामिल करेगा।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

मूल्यांकन वर्ष। आय-कर अधिकारी को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है।

अधिनियम के तहत, उस आय को वापस करने के लिए जो अर्जित हुई या उत्पन्न हुई

इस आधार पर कि एक और पिछले वर्ष के लिए एक बाद के वर्ष

सुनिश्चित करने के मामले में प्रासंगिक खातों को फिर से खोलने का जब कोई विशेष आय अर्जित या उत्पन्न हुई हो। अधिनियम की धारा 34

आय-कर अधिकारी को आय का आकलन करने का अधिकार देता है जो

मूल्यांकन से बच गया या संबंधित में कम मूल्यांकन किया गया था

मूल्यांकन वर्ष। धारा के प्रावधानों के अधीन और

उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, वह शामिल कर सकता है

आय से बचना और जिसके आधार पर निर्धारिती का पुनर्मूल्यांकन करना

पूर्व मूल्यांकन किया गया था। तो भी, एस के तहत। 35 अधिनियम का

इसमें उल्लिखित अधिकारी अपनी किसी भी गलती को सुधार सकते हैं।

स्वयं का प्रस्ताव या जब ऐसी गलतियों को उनके ध्यान में लाया जाता है

कार्यवाही के लिए एक पक्ष। उस उद्देश्य के लिए सही वस्तु हो सकती है

मूल्यांकन के मामले में ध्यान में रखा जाए। लेकिन सख्ती से

उन मामलों में भी खातों को फिर से नहीं खोला जा रहा है निर्धारिती का, लेकिन एक पुनर्मूल्यांकन किया जाता है या गलती है

अर्जित या प्राप्त वास्तविक आय के आधार पर सुधार किया गया

निर्धारिती द्वारा। हम इस प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं देखते हैं

सवाल पर विचार करते हुए खातों को फिर से खोलना जब

निर्धारिती ने राशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय भी दियाः

“ 9 ..... हम अपने निष्कर्ष को जमीनी आधार पर निकालना पसंद करेंगे।

कि हम "संचय" शब्द के अर्थ का विस्तार नहीं कर सकते हैं-या

" एस में "उठें।" 4 (1) (ख) अधिनियम की (i) ताकि प्राप्त राशियों को लिया जा सके।

निर्धारिती द्वारा बाद के वर्ष में, हालांकि रसीद पर नहीं था पूर्ववर्ष में अर्जित अधिकार का आधार। इस तरह की राशि

निर्धारिती द्वारा प्राप्त कानून केवल उस वर्ष में जब उन्हें भुगतान किया जाता है। हम निर्माण के मामले में अंग्रेजी निर्णयों को लागू नहीं कर सकते हैं।

इस न्यायालय से एक आधिकारिक व्याख्या प्राप्त की। " 28. विक्रांत टायर्स लिमिटेड बनाम। प्रथम आयकर अधिकारी, मैसूर

(3) एस. सी. सी. 76 आयकर अधिनियम के तहत एक मूल्यांकन आदेश के तहत,

अपीलार्थी निर्धारिती ने कर का भुगतान किया। उसकी अपील स्वीकार किए जाने पर

x वापस कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलीय आदेश को उलट दिया।

ई. एस. मांग करता है कि निर्धारिती को कर का भुगतान किया जाए जैसा कि निर्धारित किया गया है

इमेंडेड। राजस्व ने धारा [2019] 7 एस. सी. आर. के तहत ब्याज के भुगतान की मांग की।

220 (2) कर की वापसी के साथ शुरू होने वाली अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961। इस न्यायालय ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और यह विचार रखा कि "इस तरह के इरादे को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाले" शब्दों के बिना संसद के किसी अधिनियम द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। यह पाते हुए कि निर्धारिती द्वारा समय के भीतर भुगतान में कोई चूक नहीं की गई थी, यह पाया गया कि धारा 220 का आह्वान गलत था। यह न्यायालय वी. वी. एस. शुगर बनाम मामले में निर्णय का पालन करने के लिए कथित था। सरकार. ए. पी. और अन्य का 1999 (4) एस. सी. सी. 192 (भारत कार्बन बनाम। वी. बी. एस. चीनी)। आयकर अधिनियम के तहत हम जिस अंतिम फैसले का विज्ञापन करेंगे, वह हममें से एक (मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई) द्वारा दिया गया था और निर्णय पी. जी.

& डब्ल्यू. सावू (पी) लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. और अन्य। 2017 (13) एससीसी 284। संक्षेप में उक्त मामले के तथ्य इस प्रकार थेः

29.3.1994 . आयकर अधिकारी ने कथित तौर पर मूल्यांकन को फिर से खोला वर्ष 1989-1990 के लिए। न्यायालय ई. डी. ससून एंड कंपनी के फैसले पर भरोसा करता है। लिमिटेड वी. सी. आई. टी. (सुप्रा) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 7. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, यह स्पष्ट है कि किसी भी समय निर्धारिती को उपार्जित किराया प्राप्त करने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है -

विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के दौरान समय, क्योंकि इस तरह की वृद्धि हालांकि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, केवल वर्ष 1994 में की गई थी। राजस्व का यह तर्क कि वृद्धि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ की गई थी, हमारे सुविचारित विचार में, स्थिति को नहीं बदलता है क्योंकि पूर्वव्यापीता पूर्ववर्ती तिथि से किराया प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में है। हालाँकि, यह अधिकार केवल वर्ष 1994 में निहित किया गया था।

29. तदनुसार यह पाया गया कि मूल्यांकन वर्ष 1989-1990 के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने का नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना था।

30. हमारा विचार है कि अपीलार्थी न्यायसंगत नहीं हैं।

आयकर अधिनियम के तहत इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना। आयकर अधिनियम के तहत आय पर कर लगाने का प्रभाव इस सवाल पर विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा जो इन मामलों में उत्पन्न होता है कि क्या अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज उन राशियों के संबंध में लगाया जा सकता है जो अन्य बातों के साथ-साथ अल्प भुगतान या अल्प प्रभारित हैं। यहां तक कि यह भी हो कि आयकर अधिनियम के उद्देश्य के लिए, यह केवल तभी होता है जब उस पक्ष ने मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर मूल्य में वृद्धि के लिए सहमति व्यक्त की हो।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

तारीख जो माल को हटाने की तारीख के बाद है जो इसे प्रत्यक्ष बनाता है

बाद की तारीख में आयकर के लिए, अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के संदर्भ में ब्याज का भुगतान करने की देयता तय करने के उद्देश्य से यह अप्रासंगिक होगा। 31. अब हम ई. आई. डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन कर सकते हैं। सी सी टी 2005 (4) एस सी सी 779। उसमें अपीलार्थी चीनी का निर्माता था। किसानों से खरीदे गए गन्ने का न्यूनतम मूल्य तुरंत देय था। गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 5 ए के तहत, अतिरिक्त मूल्य देय था जो वर्ष के अंत में ही निर्धारित किया जाएगा। सरकार की सलाह पर निर्माता ने किसानों से खरीद के समय अग्रिम के रूप में अतिरिक्त मूल्य का भुगतान किया और बाद में इसे खंड 5 ए के तहत समायोजित किया गया। तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही में, निर्धारिती ने न्यूनतम मूल्य के आधार पर कारोबार दिखाया और उस पर कर का भुगतान किया। इसने भुगतान की गई अतिरिक्त कीमत पर कर का भुगतान नहीं किया, लेकिन इसे कारोबार में शामिल किया गया था। जब खंड 5 ए के तहत कीमत तय की गई थी, तो अपीलार्थी ने संशोधित विवरणी दाखिल की और कर का भुगतान किया। गन्ने की खरीद की तारीख से लेकर अब तक खंड 5 ए के तहत निर्धारित मूल्य पर धारा 24 (3) के तहत ब्याज लेने की मांग की गई थी।

कर का भुगतान। अपीलार्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि

खंड 5 ए के तहत निर्धारित मूल्य निर्धारित होने के बाद ही पता चलेगा। तभी इसे रिटर्न में शामिल किया जा सकेगा। सरकार की सलाह पर दिए गए अग्रिम केवल तदर्थ भुगतान थे और यह कीमत नहीं थी।

32. तमिलनाडु बिक्री कर अधिनियम के तहत, विक्रेताओं को दिया गया था

मासिक रिटर्न के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान करने का विकल्प। धारा 13 (1) के तहत, जिसमें कर के अग्रिम भुगतान का प्रावधान है, कर मासिक या निर्धारित किश्त में अग्रिम रूप से एकत्र किया जा सकता है। द. निर्धारण प्राधिकरण अग्रिम रूप से देय राशि को अस्थायी रूप से निर्धारित कर सकता है और विक्रेता को कर का भुगतान करने के लिए सूचित कर सकता है। धारा 13 की उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया है कि विक्रेता अपने विकल्प पर प्रत्येक महीने के लिए या निर्धारित अन्य अवधि के लिए अपने वास्तविक कारोबार के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है। इस प्रावधान के तहत कर का भुगतान उसके द्वारा दाखिल किए जाने वाले विवरणी के आधार पर किया जाना था। यह अन्य बातों के साथ-साथ विक्रेता को मांग की कोई सूचना दिए बिना भी देय होना था। अदालत ने आगे कहा कि

विचार करें कि मासिक विवरणी में, निर्धारिती द्वारा प्राप्त अग्रिम को कारोबार के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। जब ब्याज के दायित्व से संबंधित प्रश्न की बात आई, तो न्यायालय ने [2019] 7 एस. सी. आर. का उल्लेख किया।

अधिनियम के 24 पर। धारा 24 (3) में ब्याज का प्रावधान किया गया है। इसे इस रूप में पढ़ा जाता हैवीएसः

" (3) के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद बकाया बची किसी भी राशि पर उसका भुगतान जैसा कि उप-धारा (1) या आदेश में निर्दिष्ट है

भुग

तान करेंगे,

किश्तों में भुगतान की अनुमति, विक्रेता या प्रति देय राशि के अलावा, डेढ़ प्रतिशत पर ब्याज

चूक के पहले तीन महीनों के लिए ऐसी राशि का प्रति माह

और बाद के लिए ऐसी राशि के दो प्रतिशत प्रति माह पर

डिफ़ॉल्ट की अवधिः

बशर्ते कि यदि बकाया राशि एक से कम है

सौ रुपये और चूक की अवधि एक महीने से अधिक नहीं है,

कोई ब्याज नहीं दिया जाएगाः

बशर्ते कि जहां किसी व्यापारी या व्यक्ति ने एक को प्राथमिकता दी हो

इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन, इस उप के तहत देय ब्याज धारा, अपील या पुनरीक्षण में विवाद की राशि के संबंध में,

अपील या पुनरीक्षण के निपटारे तक स्थगित किया जाएगा, क्योंकि

मामला हो सकता है, और उस राशि पर गणना की जाएगी जो बन जाती है

निर्धारण का निर्धारण या संशोधन, जैसा भी मामला हो। 33. इसके बाद, ई. आई. डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड में न्यायालय। वी. अस्ट।

वाणिज्यिक करों, चेन्नई का गुणांक निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" ..... धारा 24 (1) के तहत यदि कर का आकलन किया गया है या किया गया है

अधिनियम के तहत देय हो जाता है, तो भुगतान किया जाना है उक्त समय के भीतर जैसा कि मूल्यांकन की सूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है

और धारा 13 (2) के तहत कर का भुगतान बिना किसी सूचना के किया जाना है माँगें। हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 13 (2) के तहत कर,

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी भी निर्धारण की अनुपस्थिति, है

वापसी के अनुसार कर। यदि इस तरह के कर के भुगतान में चूक की जाती है

तब अधिनियम के तहत ब्याज देय हो जाता है। वर्तमान मामले में,

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मासिक विवरणी के अनुसार कर था

समय पर भुगतान किया गया। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि वहाँ

आकलन प्राधिकरण द्वारा कोई आकलन, यहां तक कि अस्थायी भी नहीं था

संशोधित विवरणी के बाद किए गए अंतिम मूल्यांकन से पहले

दाखिल किया गया। एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर धारा 24 (3) के तहत ब्याज देय हो जाता है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद बकाया राशि धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उप-खंड

(1) धारा 24 एक निर्धारित कर या कर से संबंधित है जो अधिनियम के तहत देय होना। धारा 13 (2) द्वारा कवर किए गए मामलों में

बिना किसी मांग की सूचना के कर का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि कहा गया है। ऊपर, धारा 13 (2) के तहत कर का भुगतान "ऐसे विवरणी के आधार पर" किया जाना है। रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान किया गया है। यदि विवरणी अधूरी या गलत थी जैसा कि अब दावा किया गया है तो निर्धारण प्राधिकारी को देय कर का निर्धारण करना था और मांग की सूचना जारी करनी थी। किसी भी मूल्यांकन के अभाव में, यहां तक कि अस्थायी, और

मांग की सूचना पर धारा के तहत कोई ब्याज देय नहीं होगा।

24 (3) . ..... "

34. धारा 24 (1) ने संयोग से मूल्यांकन की सूचना के लिए प्रावधान किया क्योंकि यह अन्यथा धारा 13 (2) में प्रदान किया गया था। धारा के तहत कर

बिना किसी मांग के भुगतान किया जाना था। अदालत ने कहा

जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय से। हम निम्नलिखित चर्चा भी कर सकते हैंः

" .....इस संबंध में जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड में निर्धारित सिद्धांत। मामला [(1994) 4 एस. सी. सी. 276] तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम और राजस्थान अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद पूरी तरह से लागू होता है।

समान नहीं हो सकता है। ध्यान में रखने योग्य सिद्धांत यह है कि,

जब ब्याज का उद्ग्रहण एक वैधानिक परिणाम के रूप में निकलता है

और ऐसा दायित्व कर का भुगतान न करने का प्रत्यक्ष परिणाम है, चाहे वह आयकर अधिनियम की धारा 215 के तहत हो या राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 11-बी (ए) के साथ पठित धारा 7 (2)/7 (2-ए) के तहत (जैसा कि जम्मू-कश्मीर में इस न्यायालय के फैसले में चर्चा की गई है)।

सिंथेटिक्स लिमिटेड मामला [(1994) 4 एस. सी. सी. 276]) या धाराओं के तहत

13 (2) / 24 (3) तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के तहत नियम 18 (3) के साथ पढ़ा जाता है, तो इस तरह का लेवी के लेवी से अलग है

ब्याज जो निर्धारण के विवेकाधिकार पर निर्भर है

नियम 18 (4) के तहत जो सबसे अच्छा निर्णय मूल्यांकन आकर्षित करता है जिसके द्वारा ब्याज का उद्ग्रहण निर्णय पर आधारित है

मूल्यांकन अधिकारी। इसलिए नियम 18 (3) और नियम 18 (4) काम करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में। "[2019] 7 एस. सी. आर.

35. हमारा विचार है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की योजना और नियम एक अलग संहिता हैं। धारा 11 ए एक प्रावधान है -

पुनर्प्राप्ति। यदि कोई गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प भुगतान है, तो वह धारा 11 ए के तहत वसूली योग्य हो जाता है। यदि धारा 11 ए में निर्दिष्ट चार आकस्मिकताओं में से कोई भी है, तो धारा 11 एबी को आकर्षित किया जाता है। मूल अधिनियम का कार्य उन नियमों के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, जिनके दायरे का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। इसलिए, यदि वह मूल्य जो नियम 6 के माध्यम से स्व-मूल्यांकन के रूप में घोषित किया जाता है और जिस पर शुल्क का भुगतान किया जाता है, वह पूर्ण मूल्य नहीं है, तो धारा 11 एबी और नियमों के साथ पठित धारा 11 ए की योजना के तहत, निर्धारिती ब्याज के लिए दायित्व वहन करता है जब किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ण मूल्य पाया जाता है और वह हटाने की तारीख का होता है।

36. हमने देखा है कि इस मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि जिस समय माल को हटाया गया था, उस समय कीमत तय नहीं थी। निर्धारिती पूरी तरह से था

इस तथ्य के प्रति सचेत कि यह भिन्नता के अधीन था। निर्धारिती को इस ज्ञान के साथ आरोपित किया जाना चाहिए कि वह जिस मूल्य की घोषणा कर रहा था वह ऊपर की ओर संशोधन के लिए उत्तरदायी था। निर्धारिती के लिए नियम 7 के प्रावधानों को लागू करने और अस्थायी मूल्यांकन के लिए एक आदेश की मांग करने के लिए परिस्थितियाँ वास्तव में स्पष्ट रूप से उपयुक्त और उपयुक्त दोनों थीं। वास्तव में, निर्माता ए और निर्माता बी का उदाहरण लें। दोनों अनुबंधों के तहत वस्तुओं को हटाते हैं जिनमें वृद्धि खंड होते हैं। निर्माता ए नियम 7 का आह्वान करता है। यह अस्थायी मूल्यांकन पर माल को हटाने की अनुमति मांगता है। हालांकि अंतिम मूल्यांकन का आदेश एक समय अवधि के भीतर पारित किया जाना है, लेकिन यह बिना किसी समय सीमा के बढ़ाया जा सकता है। निर्माता ए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ मूल्य के ऊपर की ओर संशोधन के आधार पर और मूल्य को अस्थायी रूप से मूल्यांकन किए गए मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए और वृद्धि खंड के तहत आई वृद्धि से बढ़े हुए मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए नियम 7 के तहत मूल्य में अंतर पर वृद्धि लागू होने पर शुल्क का भुगतान करता है। विभेदक उत्पाद शुल्क के भुगतान के अलावा निर्माता ए उस तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है जब पूर्वव्यापी संचालन के साथ उच्च मूल्य पर आगमन पर वृद्धि लागू होगी। निर्माता बी समान तथ्यों में

माल को स्व-मूल्यांकन के आधार पर साफ़ करता है, भले ही वह पूरी तरह से जानता हो कि जिस माल का भुगतान किया जाता है उसका मूल्य निश्चित नहीं है और ऊपर की ओर संशोधन के लिए उत्तरदायी है। वह जानबूझकर अस्थायी मूल्यांकन के लिए नहीं जाने का विकल्प चुनता है। इसके बाद, वह अनुरोध करता है कि हालांकि वह जानता था कि मूल्य निर्धारित नहीं है और हटाने पर कीमतें अस्थायी थीं और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी थी क्योंकि उसने भारत लिमिटेड के मेसर्स स्टील प्राधिकरण के अस्थायी मूल्य पर शुल्क का भुगतान किया है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

माल के मूल्य पर उस अंतर शुल्क पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जिसे वह भुगतान करने के लिए स्वीकार्य रूप से उत्तरदायी है। क्या इस पर विचार किया गया है? 37. 1978 के अधिनियम No.26 द्वारा अधिनियम में धारा 11 ए, 11 बी और 11 सी को जोड़ा गया था। हालांकि इसे 1978 के अधिनियम 26 द्वारा जोड़ा गया था, यह

इसे केवल 1980 में लागू किया गया था। "शुल्क, भुगतान नहीं किया गया, कम शुल्क और गलत तरीके से वापस किया गया" शब्द ऐसी अभिव्यक्तियाँ नहीं थीं जो थीं -

हालाँकि धारा 11 ए के माध्यम से पहली बार पेश किया गया। अधिनियम के तहत बनाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 का नियम 10 इस प्रकार थाः

" 10. शुल्क की वसूली जो नहीं लगाई गई या भुगतान नहीं की गई, या कम समय के लिए लगाई गई या पूरी तरह से भुगतान नहीं की गई या गलती से वापस कर दी गई। (1) जहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम कर दिया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है या किसी भी निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, तो उचित अधिकारी, संबंधित से छह महीने के भीतर कर सकता है।

तारीख, शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस दें जो लगाया या भुगतान नहीं किया गया है, या जो कम लगाया गया है, या जिसे गलती से धनवापसी की गई है, या जिसका पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उसे कारण दिखाने की आवश्यकता है कि उसे क्यों नहीं करना चाहिए नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेंः

बशर्ते कि

(क) जहाँ कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या पूरा भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने के कारण या

उसका अभिकर्ता, या

(ख) जहाँ कोई व्यक्ति या उसका अभिकर्ता शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है और

शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया है, या

(ग) जहां ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा मिलीभगत या जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने के कारण किसी भी शुल्क को गलती से वापस कर दिया गया है, वहां इस उप-धारा के प्रावधान, ऊपर निर्दिष्ट किसी भी मामले में, इस तरह प्रभावी होंगे जैसे कि 'छह महीने' शब्दों के स्थान पर 'पांच साल' शब्द रखे गए थे। स्पष्टीकरण।
जहां अदालत के आदेश द्वारा नोटिस की सेवा पर रोक लगाई जाती है, वहां इस तरह की रोक की अवधि को छह महीने या पांच साल की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

हो सकता है।

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, इसके बाद

उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, जिसे उप-नियम (1) के तहत नोटिस दिया गया है, ऐसे व्यक्ति से देय शुल्क की राशि निर्धारित करें (नोटिस में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होना) और फिर ऐसा व्यक्ति इस तरह से राशि का भुगतान करेगा।

तय किया। (3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(i) 'धनवापसी' में नियम 12 और 12-ए में निर्दिष्ट छूट शामिल है; ((ख) 'सुसंगत तिथि' का अर्थ है -

मूल्य या शुल्क की दर, जैसा भी मामला हो; (ग) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर शुल्क लगाया गया है।

गलती से वापस किया गया, इस तरह के धनवापसी की तारीख।

38. इस प्रकार, नियम 10 में उन शुल्कों की वसूली का प्रावधान किया गया था जिनका भुगतान किया गया था या नहीं किया गया था या कम समय के लिए लगाया गया था या गलती से वापस कर दिया गया था। जहां तक अधिनियम की धारा में पाई जाने वाली अल्प-भुगतान अभिव्यक्ति का संबंध है, तो कथन क्या है? क्या नियम 10 में कोई समकक्ष था? नियम 10 का एक अल दिखाएगा कि अभिव्यक्ति 'अल्पकालिक भुगतान' इस तरह से हैइसका उपयोग नियम 10 में नहीं किया गया है क्योंकि इसका उपयोग धारा 11 ए में किया गया है। हालाँकि, हम मानते हैं कि नियम 10 में कर्तव्यों की वसूली पर विचार किया गया था जो था

लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

39. इससे पहले कि हम धारा 11 ए में 'भुगतान' अभिव्यक्ति के दायरे पर उच्चारण करने के लिए आगे बढ़ें, हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 3 और 173-सी का उल्लेख करना भी उचित समझते हैं। प्रासंगिकइसके संकेत इस प्रकार हैं:

" 173 - बी. उचित अनुमोदन के लिए माल की सूची दाखिल करने के लिए निर्धारिती

अधिकारी। (1) प्रत्येक निर्धारिती उचित अधिकारी के पास इसके लिए फाइल करेगा -

कलेक्टर के निर्देशानुसार किसी सूची का अनुमोदन करना।

पाँच गुना, दिखा रहा है-भारत लिमिटेड की स्टील प्राधिकरण। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

(क) (i) उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क, (ii) उत्पादित या निर्मित अन्य सभी वस्तुओं का पूरा विवरण। उसके द्वारा निर्मित और उसके कारखाने से हटाने का इरादा, और (iii) पहले से ही जमा किए गए या होने की संभावना वाले सभी उत्पाद

समय-समय पर अपने गोदाम में शुल्क का भुगतान किए बिना जमा किया जाता है;

(ख) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची का अध्याय, शीर्ष संख्या और उप-शीर्ष संख्या, यदि कोई हो, जिसके तहत ऐसी प्रत्येक वस्तु आती है; ((ग) ऐसी प्रत्येक वस्तु पर देय शुल्क की दर; और

(घ) ऐसे अन्य विवरण जो कलेक्टर निर्देशित करे। (2) उचित अधिकारी ऐसी जाँच के बाद, जो वह उचित समझे,

सूची को ऐसे संशोधनों के साथ अनुमोदित करें जो आवश्यक माने जाते हैं और अनुमोदित सूची की एक प्रति निर्धारिती को वापस कर दें जो, जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए,

ऐसी सूची के अनुसार हटाए जाने वाले माल पर देय शुल्क का निर्धारण करें।

(2 - क) नियम 173 सीसी के प्रावधानों के अधीन सभी मंजूरी, उचित अधिकारी द्वारा सूची के अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी। यदि उचित अधिकारी की राय है कि मामले में की जाने वाली किसी जांच के कारण या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य कारण से, अनुमोदन के अनुसार देरी होने की संभावना है, तो वह या तो निर्धारिती द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर या अपनी मर्जी से, ऐसे निर्धारिती को माल के अस्थायी मूल्यांकन के लिए नियम 9-बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाने की अनुमति देगा। (3) जहां निर्धारिती किसी माल के संबंध में उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क की दर पर विवाद करता है, वह ऐसे अधिकारी को इस आशय की सूचना देने के बाद, इसके विरोध में शुल्क का भुगतान कर सकता है -

(4) यदि उप-नियम (2) के तहत उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची में कोई भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है क्योंकि - (क) उस सूची में उल्लिखित वस्तुओं का उत्पादन, निर्माण या भंडारण शुरू करने वाला निर्धारिती, या [2019] 7 एस. सी. आर.

(ग) उस सूची में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में शुल्क की दर या दरों में परिवर्तन या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में किसी संशोधन के कारण, अध्याय में परिवर्तन, शीर्षक संख्या और उप-शीर्षक संख्या।

निर्धारिती इसी प्रकार ऐसे अधिकारी के अनुमोदन के लिए पहले से ही दाखिल की गई सूची की नई सूची या संशोधन उसी तरीके से दाखिल करेगा जैसा कि उप-नियम (1) में दिया गया है।

(5) जब शुल्क की दर के बारे में विवाद को अंतिम रूप दिया जाता है या शुल्क की दर या दरों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य कारण से, शुल्क की दर या दरों में संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उचित अधिकारी ऐसा संशोधन करेगा और तदनुसार निर्धारिती को सूचित करेगा। (6) कलेक्टर एक सामान्य आदेश द्वारा किसी भी वर्ग के निर्धारिती को छूट दे सकता है, जो पूरी तरह से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

नियम (1): बशर्ते कि जब और जब शुल्क छूट वापस ली जाती है या संशोधित की जाती है या अब लागू नहीं होती है, तो निर्धारिती उप-नियम (4) के प्रावधानों का पालन करेगा जैसे कि उसने पहले एक सूची दायर की थी और सूची को शुल्क की 'शून्य' दर के साथ अनुमोदित किया गया था। 173

जो माल माल के मूल्य पर निर्भर दर पर शुल्क के साथ प्रभार्य हैं, वे उचित अधिकारी के पास एक मूल्य सूची, ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से और ऐसे अंतरालों पर, जो कलेक्टर को आवश्यक हो, दाखिल करेंगे, जिसमें ऐसी प्रत्येक वस्तु की कीमत और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड या कलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट अन्य विवरणों के साथ खरीदारों को इसके संबंध में व्यापार छूट, यदि कोई हो, की अनुमति है।

(2) उप-नियम (1) के तहत किसी निर्धारिती द्वारा दायर मूल्य सूची के उचित अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदन केवल तभी आवश्यक होगा, जब - मूल्यांकनकर्ता

((i) अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किसी संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से माल बेचता है; या

((ii) अपने कारखाने में अन्य वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है; या मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

((ग) ऐसी वस्तुओं को निःशुल्क वितरण के लिए मंजूरी देता है; या

((iv) ऐसे माल को किसी अन्य तरीके से साफ़ करता है जिसमें शामिल नहीं है।

किसी गैर-संबंधित व्यक्ति को बिक्री; या

(v) अपने कारखानों से समान प्रकार और गुणवत्ता के सामान को साफ करता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र में स्थित या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर; या

(vi) एक नई मूल्य सूची या मूल्य सूची में संशोधन प्रस्तुत करता है।

पहले से ही उचित अधिकारी के पास दायर किया गया है और जिसका प्रभाव है

माल के मौजूदा मूल्य को कम करना।

***

*

**

***

(5) नियम 173-सी. सी. के प्रावधानों के अधीन, एक निर्धारिती निर्दिष्ट

या भंडारण का अन्य अनुमोदित स्थान जब तक कि मूल्य सूची नहीं दी गई है उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित। यदि उचित अधिकारी है

राय है कि मामले में की जाने वाली किसी भी जांच के कारण

या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य कारण के लिए, होने की संभावना है

अनुमोदन के अनुसार देरी होगी, वह या तो लिखित अनुरोध पर करेगा।

निर्धारिती द्वारा या अपनी मर्जी से किए गए ऐसे निर्धारिती को अनुमति दें।

नियम 9-बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए माल का अस्थायी मूल्यांकन "।

40. हम पहले ही देख चुके हैं कि नए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के रूप में जाना जाता है। पूर्ववर्ती नियमों के नियम 173-बी के तहत, कर के निर्धारण और भुगतान की विधि अनिवार्य रूप से नियम 173-बी के तहत एक वर्गीकरण सूची दाखिल करने वाले निर्धारिती द्वारा थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देय शुल्क की दर को शामिल करना था। नियम में आगे किसी भी संशोधन के साथ उक्त सूची के अनुमोदन पर विचार किया गया जिसे आवश्यक माना

जा सकता है। मंजूरी, नियम 173-सी. सी. के प्रावधान के अधीन, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद ही दी जानी थी। समान रूप से नियम 173 (सी) के तहत, निर्धारिती, निर्माता या उत्पादक या जो माल के मूल्य पर शुल्क के साथ प्रभार्य माल का भंडारण करता है, उसे मूल्य सूची दाखिल करनी थी। पूर्व अनुमोदन केवल कुछ परिस्थितियों में आवश्यक था जिसमें अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से बिक्री शामिल थी। उप के अंतर्गत

धारा 173-सी का नियम 5 फिर से नियम 173 सीसी के प्रावधानों के अधीन, नियम 173 सी (2) द्वारा कवर किया गया निर्धारिती किसी कारखाने, गोदाम या भंडारण के अन्य अनुमोदित स्थान से किसी भी सामान को तब तक साफ़ नहीं कर सकता जब तक कि कीमत [2019] 7 एस. सी. आर. न हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. नियम 173 बी और 173 सी के संदर्भ में, इस न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के नियम 10 के तहत जारी किए गए नोटिस के प्रभाव के बारे में सवाल उठे हैं। आबकारी नियम, 1944 जब अनुमोदित वर्गीकरण को फिर से खोलने की मांग की गई थी। सहायक कलेक्टर ने शुद्ध आकलन योग्य मूल्य को संशोधित करने और अंतर शुल्क की वसूली करने की मांग की। रेनबो इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम में आयोजित दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ। सी. सी. ई. (1994) 6 एस. सी. सी. 563 ने कहा कि एक बार मूल्य सूची को मंजूरी दिए जाने के बाद और इस पुनर्वर्गीकरण पर कार्रवाई करने के बाद कारण बताएँ नोटिस जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा। बलरामपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर और अन्य। (1995) पूरक 3 एस. सी. सी. 429 ने उपरोक्त निर्णय को मामले के तथ्यों तक सीमित रखने की मांग की। अंत में, इस मामले पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बड़ौदा बनाम के मामले में एक संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया। कॉट्सपन लिमिटेड ने (1999) 7 एस. सी. सी. 633 में सूचना दी। इस न्यायालय ने इंद्रधनुष उद्योग (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी और यह देखते हुए कि उसने नियम 173-बी का विज्ञापन नहीं किया है, उसने बलरामपुर उद्योग को अस्वीकार कर दिया। निर्णय के दौरान, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

और उसे केवल उसके बाद सूची को मंजूरी देने की आवश्यकता होती है, और ऐसे संशोधनों के साथ जो आवश्यक माने जाते हैं। निर्धारिती जिस माल को वह हटाना चाहता है, उस पर उसके द्वारा देय उत्पाद शुल्क को अनुमोदित वर्गीकरण सूची के अनुसार निर्धारित करना होगा। उप-नियम (5) में अनुमोदित वर्गीकरण सूची में संशोधन का प्रावधान है।

13. नियम 10 उन शुल्कों की वसूली के लिए एक प्रावधान है जो पूरे या आंशिक रूप से नहीं लगाए गए हैं या उनका भुगतान नहीं किया गया है। जहाँ तक हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, इसमें यह प्रावधान है कि जहाँ कोई शुल्क कम लगाया गया है, आबकारी अधिकारी, सुसंगत तिथि से छह महीने के भीतर, निर्धारिती को नोटिस दे सकता है जिसमें उससे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे उस राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए जो कम कर दी गई थी। नियम 10 वर्गीकरण सूचियों से संबंधित नहीं है या फिर से खोलने से संबंधित नहीं है।

अनुमोदित वर्गीकरण सूचियाँ। यह विशेष रूप से नियम 173-बी द्वारा प्रदान किया गया है।

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

14. एक अनुमोदित के आधार पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण

वर्गीकरण सूची सही शुल्क है, कम से कम उस समय तक जब तक

अनुमोदन की शुद्धता पर जारीकर्ता द्वारा सवाल उठाया जाता है

कारण दर्शाओ नोटिस का निर्धारिती। केवल तभी जब

अनुमोदन की शुद्धता को चुनौती दी जाती है कि एक अनुमोदित

वर्गीकरण सूची ऐसी नहीं रहती है।

15. एक अनुमोदित के आधार पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण

वर्गीकरण सूची एक संक्षिप्त शुल्क नहीं है। विभेदक कर्तव्य नहीं हो सकता

इस आधार पर वसूल किया गया कि यह एक छोटा शुल्क है। नियम 10 में तब नहीं है आवेदन "।

(जोर दिया गया)

42. मेसर्स के मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ। ईस्टलैंड

कंबाइंस, कोयंबटूर बनाम। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बटूर के कलेक्टर ने बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, इंद्रधनुष में निर्णय को नोटिस करने और धारा 11 ए में 2000 के वित्त अधिनियम 10 द्वारा लाए गए परिवर्तन को नोटिस करने के बाद ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 843 में यह विचार रखने के लिए आगे बढ़े कि संशोधन को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार कि नियम 10 वर्गीकरण सूची से संबंधित नहीं है या वर्गीकरण सूची को फिर से खोलने से संबंधित नहीं है, में बदलाव किया गया है और जिन शर्तों पर कॉट्सपुन (उपरोक्त)

(1999) में दिया गया निर्णय 7 एस. सी. सी. 633 को मौलिक रूप से बदल दिया गया था। एम/एस में लिया गया दृश्य। ईस्टलैंड कम्बाइंस, कोयंबटूर (उपरोक्त) पर दो न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ को संदेह हुआ। नतीजतन, यह फिर से

तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ को भेजा गया था और संदर्भ का जवाब आईटीडब्ल्यू सिग्नॉड इंडिया में रिपोर्ट किए गए निर्णय में दिया गया था

सीमित बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर ने (2004) 3 एस. सी. सी. 48 में रिपोर्ट किया। इसके तहत, न्यायालय ने 1994 के नियमों, धारा 11 ए, जिसे अधिनियम में पेश किया गया था, का उल्लेख करने के बाद, वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 97 द्वारा लाए गए संशोधन में पाया गया कि वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित धारा 11 ए ने न्यायालय के फैसले के दौरान एक पूरी तरह से अलग स्थिति पैदा की, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार थीः

" इस तरह के "शब्दों के बाद होने वाले" चाहे या न "गैर को संदर्भित करता है शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान या त्रुटिपूर्ण

धनवापसी। इसलिए यह तर्क देना सही नहीं है कि "ऐसा" शब्द

केवल ऐसे अल्प-शुल्क को इंगित करता है जिसे गैर [2019] 7 एस. सी. आर. माना गया है।

कोटस्पुन में मौजूद [(1999) 7 एस. सी. सी. 633] नियम के संबंध में

173 - बी. इस तरह के अल्प-शुल्क या गैर-शुल्क के आधार पर हो सकता है

नियम 10 (एस. आई. सी. 173-बी) की शर्तों के अनुसार, यदि इसमें कोई गलती है पता चला, यह भी अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा

" ऐसा अल्पावधि-शुल्क या अल्पावधि भुगतान। इस तरह का नोटिस दिया जाना है

उस कर्तव्य के लिए प्रभार्य व्यक्ति पर जो अन्य बातों के साथ-साथ किया गया है अल्प-प्रभारित या अल्प-भुगतान "।

57. नियमों के नियम 173-बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया अधिनियम में विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, के कारण से

संशोधित अधिनियम को फिर से खोलने के लिए एक प्रावधान किया गया है

अनुमोदित वर्गीकरण सूचियाँ। यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है। जिसके बारे में वैधानिक प्राधिकरणों को निर्धारित करना आवश्यक है

क्या पहले का वर्गीकरण सही तरीके से किया गया था या नहीं। द.

पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने पर प्राधिकरण ने कहा

इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि मंजूरी पर निर्णय दिया गया है

या उक्त कारण से अल्प-भुगतान या गलती से वापस किए गए कर्तव्य संशोधन, संसद ने केवल यह प्रावधान किया था कि

अल्प शुल्क के मामले में वर्गीकरण सूची का आधार अन्य बातों के साथ-साथ

बरामद किया जा सकता है यदि कोई निष्कर्ष निकाला जाता है कि माल था

एक लघु-शुल्क लगाया गया। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, धारा

110 वित्त अधिनियम की धारा 11 के तहत की गई कार्रवाइयों को मान्य करना।

ए को ध्यान में रखा जा सकता है जिसके तहत और जिसके तहत ए कानूनी कल्पना बनाई जाती है "।

(जोर दिया गया)

43. इस प्रकार, धारा 11 ए को एक वसूली प्रावधान माना गया था

डीएस गैर-लेवी, गैर-भुगतान, अल्प-लेवी, अल्प-भुगतान या गलती से वापस किया गया

उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 10 के तहत उत्पाद शुल्क का शुल्क

अनुमोदित वर्गीकरण सूची या मूल्य सूची के रूप में पाया गयासीटी लेवी। इसने अल्प-शुल्क को जन्म नहीं दिया। निस्संदेह, धारा 11 ए के संशोधित प्रावधानों ने किसी मामले में भी कर्तव्य की वसूली का अधिकार दिया है

ई वर्गीकरण सूची को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और यह काम करेगी।

हटाने की तारीख और उस तारीख से नहीं जिस पर कारण दिखाया गया हो

ssued।

एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

44. एन. बी. संजना के मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, बॉम्बे और अन्य। वी. एल्फिंस्टन कताई और

वीविंग मिल्स कं. लि. ; 1978 ई. एल. टी (जे 399), निर्धारिती का तर्क था कि न तो नियम 9 और न ही नियम 10 ए (1944 नियम) ने राजस्व को संबंधित मांग नोटिस उठाने की शक्ति दी। उक्त मामले में। माँग की जानी थी यदि नियम 10 के तहत और माँग तीन महीने के लंबे समय बाद की गई थी, जो उक्त नियम में निर्धारित की गई थी, उसके विपरीत, नोटिस अवैध और अमान्य थे। अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः - " 14 . हम डॉ. सैयद मोहम्मद के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि नियम 10 में 'लेवी' शब्द का अर्थ कुछ राशि का वास्तविक संग्रह है। प्रभार प्रावधान धारा 3 (i) में विशेष रूप से कहा गया है कि उत्पाद शुल्क इस तरह से लगाया और एकत्र किया जाएगा जो उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उप-धारा (i) में "लगाए गए और एकत्र किए गए" दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अधिनियम या नियमों में "लेवी" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक संग्रह। डॉ. सैयद मोहम्मद, निस्संदेह, अपने इस तर्क में पूरी तरह से स्थापित हैं कि यदि अपीलकर्ताओं को नियम 10 ए या नियम 9 (2) के तहत नोटिस जारी करने की शक्ति है, तो तथ्य यह है कि नोटिस विशेष रूप से एक विशेष नियम को संदर्भित करता है, जो

लागू नहीं होगा, उस आधार पर नोटिस को अमान्य नहीं करेगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जे. के. स्टील लिमिटेड बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। भारत संघ (1969) 2 एससीआर 418 = (एआईआर 1970 एससी 1173)।

" यदि किसी शक्ति के प्रयोग का पता किसी वैध स्रोत से लगाया जा सकता है,

तथ्य यह है कि उसी का प्रयोग किया गया था एक अलग शक्ति के तहत विचाराधीन शक्ति के प्रयोग को दूषित नहीं करता है। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है। इसमें

बी. बालाकोटैया बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों के संबंध में संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है। भारत संघः [1958] एससीआर

1052 (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 232) और अफजल उल्ला बनाम। यू. पी. राज्य

[1964] 4 एससीआर 991 = (एआईआर 1964 एससी 264)।

न्यायालय ने आगे इस प्रकार निर्णय दियाः

" 18. यह अब हमें उचित व्याख्या के प्रश्न पर ले जाता है

नियम 10 में "अल्प-प्रभारित" और "भुगतान" अभिव्यक्ति पर रखा जाए। क्या "अल्प-उद्ग्रहण" पद का अर्थ यह है कि कुछ राशि शुल्क के रूप में लगाई जानी चाहिए थी जैसा कि डॉ. सैयद मोहम्मद ने तर्क दिया है या क्या यह पद उन मामलों को भी शामिल करेगा जहां मूल्यांकन [2019] 7 एस. सी. आर. है।

क्वांटम जो भी हो। यदि इस शाब्दिक व्याख्या को नियम में "भुगतान" अभिव्यक्ति पर रखा जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह डॉ. सैयद मोहम्मद के तर्क का बड़े पैमाने पर समर्थन करेगा। उस नियम 10 में इस अर्थ में एक अल्प-शुल्क का विचार किया गया है कि सही राशि से कम होने वाली राशि का आकलन किया गया है और

वास्तव में भुगतान किया। हमारी राय में, "भुगतान" अभिव्यक्ति को शून्य में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और उक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ लगाना सही नहीं होगा, जिसका अर्थ है वास्तव में भुगतान। वह शब्द होना चाहिए

आय-कर आयुक्त, पंजाब [1963] 3 एस. सी. आर. 893 = (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1062), और एलन बनाम। थोर्न इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1968) 1 क्यू. बी. 487। (1963) 3 एस. सी. आर. 893 = (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1062 में, प्रश्न इस प्रकार उठाः भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के तहत कुछ निर्धारण कार्यवाही में, एक निर्धारिती पर आरोप लगाया गया था - एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत उस अधिनियम की धारा 18 ए की उप-धारा (8) के तहत ब्याज।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि धारा 18 ए की उप-धारा (6) में निर्धारित तरीके से गणना की गई उप-धारा ब्याज को निर्धारित कर में जोड़ा जाना था। धारा 18 ए की उप-धारा 3 ऐसे व्यक्ति के मामलों से संबंधित है जिसका पहले आकलन नहीं किया गया है और उसे अपने द्वारा देय कर का अपना अनुमान बनाने और भुगतान करने की आवश्यकता थी।

तदनुसार। उस मामले में धारा 18 ए की उप-धारा (3) निर्धारिती पर लागू होती थी। हालाँकि, उन्होंने न तो कोई अनुमान प्रस्तुत किया और न ही उन्होंने कोई अग्रिम कर का भुगतान किया। धारा 18 ए की उप-धारा (6) के तहत यह प्रावधान किया गया थाः

" जहाँ किसी भी वर्ष में किसी निर्धारिती ने उप-कर के तहत कर का भुगतान किया हो।

धारा (2) या उप-धारा (3) अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर, और इस प्रकार भुगतान किया गया कर कर के अस्सी प्रतिशत से कम है।

नियमित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित सरल ब्याज

पहले दिन से छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से

जनवरी उस वित्तीय वर्ष में जिसमें उक्त नियमित निर्धारण की तारीख तक कर का भुगतान किया गया था, निर्धारिती द्वारा उस राशि पर देय होगा जिसके द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर कम हो जाता है। उक्त अस्सी प्रतिशत में से।

शुल्क की राशि। दूसरी ओर, यदि फिर से मिलीभगत के कारण शून्य मूल्यांकन का आदेश पारित किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं के अनुसार नियम 10 ए लागू होगा। हम उपरोक्त दो मामलों को एक दूसरे से अलग करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। दोनों ही सांठगांठ के मामले हैं और यदि सांठगांठ में कोई निर्धारिती शुल्क की एक छोटी राशि का आकलन और भुगतान करने का प्रबंधन करता है तो वह प्रभावी रूप से तीन महीने की सीमा का अनुरोध कर सकता है। नियम 10. जबकि मिलीभगत के उसी मामले में जहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, वहां सीमा की कोई अवधि नहीं होगी। हमारी राय में, यह नियम 10 ए [2019] 7 एस. सी. आर. पर रखी जाने वाली उचित व्याख्या नहीं होगी।

ऐसा होगा कि एक निर्धारिती जिसका मूल्यांकन कम किया गया है राशि के साथ-साथ एक निर्धारिती जिसे शून्य शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है

सभी को एक समान रखा जाएगा और यही नियम 10 का उद्देश्य है।

(जोर दिया गया)

45. वास्तव में, यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 11 ए जिसे अंतःस्थापित किया गया था

1978 के अधिनियम 26 द्वारा काफी हद तक 1944 के नियमों के नियम 10 का पुनरुत्पादन है। वास्तव में, हम वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल द्वारा 1978 के अधिनियम 26 के कारणों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित उत्तरों पर ध्यान देते हैं, जिनके द्वारा धारा 11 ए को जोड़ा गया थाः

" श्री अमृत नाहटा ने खंड 24 पर हमला किया और पूछा,

आप लघु शुल्क के संबंध में सीमा क्यों बढ़ाने जा रहे हैं?

छह महीने से पाँच साल तक? पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी। यह.

केवल अगस्त 1977 में नियमों और प्रावधानों में संशोधन किया गया था। धोखाधड़ी के मामले में समय सीमा तय करने के लिए नियमों में बनाया गया है। इससे पहले ए.

धोखाधड़ी के मामले में 20 साल बाद भी मामला फिर से खोला जा सकता है। 1977 में नियमों ने मामले में पांच साल की समय सीमा निर्धारित की थी।

धोखाधड़ी से। अन्यथा, अवधि असीमित थी। जब हम सीमित होते हैं

पाँच साल की अवधि, अधीनस्थ विधान समिति

सिफारिश की कि इस तरह के महत्वपूर्ण को शामिल करने के बजाय नियमों में प्रावधान को अधिनियम में ही जगह मिलनी चाहिए। वह यह है कि

हम अधिनियम में यह संशोधन क्यों लाए हैं। अन्यथा,

क्योंकि उन नियमों को सदन के पटल पर निहितार्थ द्वारा रखा गया था

उन्हें बिना किसी संशोधन के सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो,

अब कमोबेश यही कानून है। हम केवल इसे शामिल कर रहे हैं

अधिनियम, जैसा कि अधीनस्थ समिति द्वारा अनुशंसित है

कानून "।

46. यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार है कि धारा 11 ए को जोड़ा गया।

47. धारा 11 ए. बी. पर आते हुए, इसे अधिनियम 33 द्वारा जोड़ा गया।

1996. इसके बाद, 2000 के अधिनियम 10,2001 के अधिनियम 14,2002 के अधिनियम 20 और 2005 के अधिनियम 49 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। हम पहले ही उक्त धारा के प्रासंगिक प्रावधानों को निकाल चुके हैं। धारा 11 ए को अनिवार्य रूप से धारा 11 एबी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि धारा 11 एबी के तहत ब्याज उत्पाद शुल्क नहीं लगाए जाने या भुगतान नहीं किए जाने या कम समय के लिए लगाए जाने, कम समय के लिए भुगतान किए जाने या गलती से वापस किए जाने पर आधारित है। ऐसा शुल्क या तो धारा 11 ए की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित किया जाता है या इस तरह के निर्धारण के बिना इसे धारा 11 ए की धारा 2 बी के तहत भुगतान किया जाता है।

भारत लिमिटेड के किसी भी मेसर्स स्टील प्राधिकरण में। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

जिन परिस्थितियों में गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क और अल्प-भुगतान, कोई शुल्क निर्धारित या भुगतान किया गया है जैसा कि धारा 11 ए के तहत प्रावधान किया गया है, अनिवार्य रूप से निर्धारिती उस महीने के बाद की पहली तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था। 48. जिस प्रश्न पर हमें अनिवार्य रूप से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, वह यह है कि मूल्य को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कब ऊपर की ओर संशोधित किया जाता है और उस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान भविष्य की तारीख को तुरंत किया जाता है कि क्या ब्याज। धारा 11 एबी के तहत उस महीने के बाद के पहले दिन से देय है जिसमें अधिनियम के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था। मामले को ध्यान में रखने के लिए, सटीक सवाल यह है कि वह कौन सा महीना है जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था।

49. नियमों के तहत, माल हटाने पर शुल्क के लिए उपयुक्त हो जाता है। मूल्यांकन स्वयं निर्धारिती द्वारा स्व-मूल्यांकन के माध्यम से किया जाना है। ऐसे मामले में जहां मूल्य के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाता है, निर्धारिती को मूल्य पर शुल्क की दर लागू करनी होती है और उस महीने के बाद के महीने के छठे दिन या उससे पहले शुल्क का भुगतान करना होता है जिसमें शुल्क को हटा दिया जाता है।

माल होता है। निस्संदेह, यदि निष्कासन मार्च में होता है, तो भुगतान 31 मार्च तक किया जाना है।

50. हमने यह भी देखा है कि अगर अस्थायी मूल्यांकन होता है तो क्या होता है। अस्थायी मूल्यांकन के मामले में, निर्धारिती

अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाता है, निर्धारिती उत्तरदायी हो जाता है तथापि, उस महीने की पहली तारीख से ब्याज का भुगतान करना जिसके लिए राशि निर्धारित की जाती है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नियम 7 (4) के तहत, "उस महीने के बाद, जिसके लिए ऐसी राशि निर्धारित की जाती है" अभिव्यक्ति माल को हटाने के महीने को संदर्भित करती है। जब अनंतिम मूल्यांकन के ऐसे परिणाम होते हैं, तो यह धारा 11 एबी पर एक व्याख्या रखने के लिए एक निंदनीय भेदभाव का अवसर देगा, जिसके द्वारा वे आकलन करते हैं जो अनंतिम के लिए जाते हैं।

नियम 7 के तहत मूल्यांकन को हटाने की तारीख के संदर्भ में मूल्यांकन को अंतिम रूप देने पर ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसे मामले में जहां मूल्य पूरी तरह से मूल्य वृद्धि खंड के परिणामस्वरूप निर्धारित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है और धारा 11 एबी के तहत

देय राशि वृद्धि देने के निर्णय की तारीख के संदर्भ में उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, कानून की व्याख्या इस तरह से करनी होगी कि यह [2019] 7 एस. सी. आर. हो।

निष्पक्ष और समान रूप से स्थित निर्धारिती समूह के बराबर। विधायी इस संबंध में इरादा भी अन्यथा नहीं हो सकता है। विधानमंडल ने धारा 11 एबी में अधिनियम और नियमों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से समय निर्धारित किया है। धारा 11 एबी के तहत कम शुल्क या कम भुगतान के मामले में

अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम और नियमों के तहत "महीना जिसमें शुल्क देय हो गया है" अभिव्यक्ति को उस महीने के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत शुल्क देय है। इस प्रकार, यदि जनवरी के महीने में माल हटाया जाता है, तो आम तौर पर 6 फरवरी तक भुगतान किया जाना चाहिए। यदि 6 फरवरी तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो धारा 11 एबी को मार्च के पहले दिन से ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के साथ निर्धारिती को शामिल करने के रूप में समझा जाना चाहिए।

दिया गया। यदि निर्धारिती नियम 7 के तहत अस्थायी मूल्यांकन के लिए जाता है, तो वह उस महीने के बाद महीने के पहले दिन से उत्तरदायी हो जाता है जिसके लिए राशि निर्धारित की जाती है। 51. इस अधिनियम के तहत अभिव्यक्ति "वह महीना जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था", जब इसे नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है, जो

यह घोषित करता है कि एक महीने के दौरान कारखाने या गोदाम से हटाए गए माल पर शुल्क का भुगतान अगले महीने की 6 तारीख को किया जाना है, इसका मतलब यह होगा कि विधानमंडल ने अधिनियम के तहत "जिस महीने में शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था" अभिव्यक्ति को उसी अर्थ में समझा है जैसा कि नियम 8 में घोषित किया गया है। 52. इस संबंध में मूल प्राधिकारी के आदेश में निष्कर्ष पर ध्यान देना भी उचित है कि दिनांक 1 जुलाई, 2004 के परिपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि कीमत को अस्थायी मूल्य के रूप में समझा गया था। यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के मामले को नकारता है कि कीमत अंतिम थी। क्या निर्धारिती परिपत्र के आलोक में एक ही सांस में एक पल के लिए भी यह तर्क दे सकता है कि निर्धारिती था

बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार और कीमत और इसलिए मूल्य निर्धारित करने में सक्षम। हम सोचेंगे कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता है जहां निर्धारिती को नियम 7 का सहारा लेना चाहिए था।

53. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, सेल ने रुपये के अंतर शुल्क का भुगतान किया है। 142.78 धारा के तहत किसी भी नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना भी करोड़

11 ए (1)। निर्धारिती ने स्वेच्छा से अक्टूबर 2006 में भुगतान किया। हम प्राधिकरण के निष्कर्ष में योग्यता पाते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान को धारा 11 ए (2) बी के तहत आने वाला माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह भी था कि धारा 11 ए (2) (ए) के अर्थ के भीतर कर्तव्य के निर्धारण या धारा 11 ए के तहत नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

54. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम धारा 11 ए की तुलना करते हैं क्योंकि इसे 15.11.1980 से धारा 11 ए के बाद लागू किया गया था। वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 97 द्वारा किए गए संशोधन से हम पाते हैं कि धारा 11 ए के बाद के अवतार में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए हैं: -

" चाहे ऐसा गैर-शुल्क या गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान या त्रुटिपूर्ण धनवापसी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन से संबंधित किसी भी अनुमोदन, स्वीकृति या मूल्यांकन के आधार पर था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका प्रभाव केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बड़ौदा बनाम के मामले में निर्णय के आधार को छीनने पर पड़ा। कॉट्सपन लिमिटेड

(1999) 7 एस. सी. सी. 633 में रिपोर्ट की गई, जिसमें यह विचार लिया गया कि अनुमोदित वर्गीकरण सूची के आधार पर एक लेवी, अल्प-लेवी नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक है। धारा 11 ए के तहत शुल्क की वसूली करने की शक्ति जो

अधिरोपित नहीं किया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या अल्प-प्रभारित या अल्प-भुगतान अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध होगा, चाहे वह उपरोक्त आकस्मिकता हो।

अधिनियम और नियमों के तहत शुल्क की दर या मूल्यांकन से संबंधित किसी भी अनुमोदन, स्वीकृति या मूल्यांकन का परिणाम था या नहीं था। इस प्रकार, जब शुल्क या मूल्यांकन की दर के संबंध में कोई मूल्यांकन या स्वीकृति हुई है, तब भी यह धारा 11 ए के तहत शक्ति का आह्वान करने के रास्ते में नहीं आती है।

55. नियम 12 घोषित करता है कि प्रत्येक निर्धारिती को मासिक विवरणी दाखिल करनी है। नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मूल्यांकन पर विचार करता हो

अधिकारियों द्वारा वापसी के आधार पर। निर्धारण नियम (6) के तहत निर्धारिती द्वारा स्व-मूल्यांकन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 7 द्वारा कवर किए गए मामले में एक अनंतिम मूल्यांकन के बाद एक अंतिम मूल्यांकन होता है। स्व-मूल्यांकन के लिए मुख्य तत्व (1) शुल्क की दर (2) मूल्यांकन (3) हटाने की मात्रा प्रतीत होते हैं।

56. क्या गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क और अल्प-भुगतान के मामले परस्पर अनन्य हैं? . दूसरे शब्दों में, क्या यह कहा जा सकता है कि

भुगतान न करने की स्थिति में, यह गैर-लेवी का मामला नहीं होगा? क्या वे ओवरलैप करते हैं? यदि गैर-कर लगाया जाता है, तो उसी समय अल्प कर लगाया जाएगा। अंत में, कम शुल्क के मामले में, क्या कम भुगतान भी हो सकता है?

57. शुल्क क्या है? हम पहले ही देख चुके हैं कि एन. बी. संजना (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में, इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है - नियम 10 में लगाए गए राजस्व का अर्थ है कुछ राशि का संग्रह।

अदालत ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम या नियमों में लेवी का उपयोग वास्तविक संग्रह के रूप में नहीं किया गया है।

58. ऐसे मामले में जहां सामान को गुप्त रूप से हटाया जाता है, वहां कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। समान रूप से, गैर-भुगतान होगा। इस प्रकार, गैर-शुल्क का मामला गैर-भुगतान के साथ ओवरलैप हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां

पूर्ण शुल्क के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है, गलती से हो सकता है या

अन्यथा। इसी तरह, यदि कोई गैर-शुल्क नहीं है, तो आंशिक भुगतान किया जा सकता है। यह इसे कम भुगतान का मामला बना देगा क्योंकि भुगतान निर्धारिती द्वारा किए गए स्व-मूल्यांकन के अनुसार लगाए गए शुल्क की राशि से मेल नहीं खाता है। एक छोटा शुल्क आम तौर पर एक मामला होगा। जहां निर्धारण के अवयवों में से, अर्थात् (1) शुल्क की दर, (2) मूल्यांकन और (3) मात्रा को हटा दिया गया है, सभी या कोई भी घटक हैं:

गलत तरीके से लागू किया गया। उदाहरण के लिए, यदि लागू शुल्क की पूरी दर लागू नहीं की जाती है, हालांकि मूल्यांकन और मात्रा सही तरीके से तय की गई है, तो यह अल्प-शुल्क के अंतर्गत आ सकती है। एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि अल्प-भुगतान भी है, जैसे कि भुगतान को उस राशि के रूप में समझा जा सकता है जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया है, यह अल्प-भुगतान का मामला हो सकता है। लेकिन इसे कम शुल्क के तहत रखना अधिक उपयुक्त हो सकता है जहां भुगतान में कमी अनिवार्य रूप से कम शुल्क के संदर्भ में है। 59. हम यहाँ इन मामलों में मूल्यांकन के घटकों में से एक, अर्थात् मूल्यांकन के बारे में चिंतित हैं। हटाए गए मात्रा के बारे में कोई विवाद नहीं है। दर से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है

कर्तव्य। विवाद सही मूल्य से संबंधित है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए हम एक ऐसे निर्धारिती का उदाहरण लें जो जानबूझकर उन वस्तुओं का कम मूल्यांकन करता है जिन्हें उसने हटा दिया था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती एक ऐसी राशि पर पहुंचता है जो सही राशि नहीं होगी। वह इस गलत तरीके से निर्धारित राशि का भुगतान करता है। क्या यह कम शुल्क या कम भुगतान का मामला होगा? यदि लघु शुल्क को उन मामलों तक सीमित समझा जाना है जहां मूल्यांकन पूर्ण मूल्यांकन नहीं है, तो सही ढंग से शामिल मापदंडों, अर्थात् शुल्क की दर, मूल्यांकन और मात्रा को ध्यान में रखते हुए इसे उचित मूल्यांकन के घटकों में से एक के रूप में लघु शुल्क के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् मूल्यांकन पर गलत तरीके से निर्णय लिया गया है। ऐसे मामले में भुगतान गलत तरीके से मूल्यांकन किए गए आंकड़े के संदर्भ में किया जाता है। भुगतान मूल्यांकन से मेल खाता है। वास्तव में, यह याद रखना सार्थक है कि 1944 के नियम 10 जिन्हें हमने स्वीकार किया है। , "लघु भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, शब्दों का उपयोग किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में जहां कानूनी रूप से भुगतान की गई राशि मूल्यांकन की गई राशि के अनुरूप है, यह मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

वह राशि जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाना चाहिए था। शुल्क के पूर्ण भुगतान या अल्प भुगतान का अभाव भी वास्तव में एक अर्थ में हुआ है। ऐसे मामले में जहां वृद्धि खंड है, वस्तुओं को अस्थायी मूल्य पर मंजूरी दी जाती है। नतीजतन, मूल्य अस्थायी है। पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बाद में वृद्धि होती है। यह उस मूल्यांकन को प्रभावित करेगा जो निर्धारिती द्वारा स्व-मूल्यांकन में नियोजित किया गया था जो अनिवार्य रूप से अस्थायी होगा। मूल्य में वृद्धि पूर्वव्यापी संचालन को देखते हुए हटाने की तारीखों से शुरू होगी।

मान लीजिए कि अंतर शुल्क के भुगतान के लिए दायित्व उत्पन्न हो गया है। वास्तविक मूल्य पर, मूल्य की पूर्वव्यापी वृद्धि के मामले में, हालांकि बाद में सहमति प्राप्त की जा रही है और परिणामी अंतर शुल्क स्वीकार्य रूप से देय है, इसके परिणामस्वरूप धारा 11 ए को धारा 11 एबी के साथ पढ़ा जाएगा।

60. यह सच है कि वैधानिक प्राधिकरण ने इसे कम भुगतान का मामला पाया है। ब्याज का दावा करते हुए जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि

लघु शुल्क है (पृष्ठ 89 Vol.II एस. एल. पी. पेपर बुक देखें)। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि यह एक लघु शुल्क का मामला है, धारा 11 एबी के साथ पठित धारा 11 ए आकर्षित होती है और ब्याज घड़ी उस तारीख से कम हो जाती है जैसा कि हमने पाया है अर्थात् धारा 11 एबी के साथ पठित नियम 8 में प्रदान किया गया है। यदि अल्प भुगतान की अवधारणा को उन सभी राशियों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाता है जिनका भुगतान किया जाना चाहिए था, तो इसे अल्प भुगतान के मामले के रूप में भी माना जा सकता है, हालांकि कानूनी रूप से यह सच हो सकता है कि यह सख्ती से अल्प शुल्क के अंतर्गत आ सकता है।

61. हालांकि यह सच हो सकता है कि हर्जाने या मुआवजे के रूप में ब्याज की मांग नहीं की जा सकती है और यह भी सच है कि जब तक कि

राजकोषीय कानून में ब्याज के भुगतान के लिए एक ठोस प्रावधान है, ब्याज की मांग नहीं की जा सकती है, हम धारा 11 एबी के तहत अधिनियम और विचाराधीन नियमों के संदर्भ में सोचेंगे, विशेष रूप से जब अंतर शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से संबंधित कोई विवाद नहीं है और हम देखते हैं कि विवाद की अनुपस्थिति इस तथ्य की उचित स्वीकृति है कि वर्तमान मामलों के तथ्य एमआरएफ निर्णय की स्थिति के विपरीत हैं जहां मूल्य हटाने के समय निर्धारित किया गया था, धारा 11 एबी में प्रदान किए गए समय से ब्याज देय है। लेकिन इन मामलों में, मूल्य वृद्धि खंड के तहत परिवर्तनीय था जो निर्धारिती की जानकारी के भीतर था और ब्याज की मांग टिकाऊ है।

62. जहाँ तक धारा 11 ए (2) (बी) के दूसरे स्पष्टीकरण के दायरे का संबंध है, यह निर्धारिती द्वारा स्वेच्छा से भुगतान करने पर विचार करता है। यह धारा 11 ए के तहत बिना किसी नोटिस के जारी किया गया है। वहाँ

यह निर्धारिती की ओर से ब्याज [2019] 7 एस. सी. आर. का भुगतान करने के दायित्व का भी संदर्भ है।

धारा 11 ए (2) (बी) के तहत, न केवल उस राशि पर जो धारा 11 ए (2) (बी) के अर्थ के भीतर भुगतान की जाती है, बल्कि किसी भी छोटे भुगतान पर जो आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसका मतलब केवल यह है कि भुगतान कर सकते हैं

उन चार राशियों में से किसी का निर्धारिती जिसके साथ हम अधिक हैं संबंधित, गैर-शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान। चूंकि धारा 11 ए के तहत कोई नोटिस नहीं है और इसका निर्धारण नहीं किया गया है।

ऐसी राशि जिसके अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है, ऐसा हो सकता है कि निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में उस राशि की तुलना में कमी हो सकती है जो निर्धारिती को कानूनी रूप से भुगतान करने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 11 ए (2) (बी) के दूसरे स्पष्टीकरण में जिस अल्पावधि भुगतान का उल्लेख किया गया है, वह केवल उपरोक्त अल्पावधि भुगतान हो सकता है और यह शुल्क के अल्पावधि भुगतान का उल्लेख नहीं कर रहा है जो मूल रूप से किया गया था।

और जो धारा 11 ए (2) (बी) और धारा 11 एबी का विषय है।

63. हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा हमें (इस पीठ को) मामलों को संदर्भित करने के आदेश में यह तर्क कि धारा 11 एबी के उद्देश्य के लिए, "भुगतान किया जाना चाहिए था" का अर्थ उस समय से होगा जब विक्रेता और खरीदार द्वारा कीमत पर सहमति व्यक्त की गई थी, धारा में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों की हमारी समझ से मेल नहीं खाता है।

11 एबी और जैसा कि नियम अन्यथा घोषणा करते हैं और इसमें अगले महीने के 6 वें दिन या उससे पहले माल के प्रत्येक हटाने के लिए शुल्क का भुगतान करने का प्रावधान है। पीठ द्वारा विचार किए गए तरीके से शब्दों की व्याख्या करने से अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ हिंसा होगी जिनकी हमने व्याख्या की है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब कोई निर्धारिती समान परिस्थितियों में मूल्य के अंतिम निर्धारण पर अस्थायी मूल्यांकन का सहारा लेता है

नतीजतन, शुल्क और ब्याज उस महीने का है जिसके लिए

कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। शुल्क और ब्याज का भुगतान उस महीने के संदर्भ में नहीं किया जाता है जिसमें अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। वास्तव में, किसी भी अन्य

नियम 8 पर दी गई व्याख्या न केवल उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के विपरीत होगी, बल्कि प्रावधानों को रेखांकित करने वाले स्पष्ट उद्देश्य को भी विफल कर देगी। यह सच हो सकता है कि वृद्धि खंड के तहत वृद्धि को अंतिम रूप देने के बाद ही अंतर शुल्क को स्पष्ट किया जाता है, लेकिन यह है

ऐसा मामला नहीं है जहां वृद्धि का केवल संभावित संचालन होना है। यह स्वीकार्य रूप से पूर्वव्यापी संचालन होना चाहिए। इसका मतलब है कि माल का मूल्य जो माल की निकासी के समय केवल स्वीकृत रूप से अस्थायी था, अंततः निर्धारित किया जाता है और यह उक्त अंतर मूल्य पर है जो स्वीकार करता है कि अंतर शुल्क का भुगतान किया जाता है। हम सोचेंगे कि जबकि सिद्धांत यह है कि हटाने के समय माल का मूल्य भारत लिमिटेड के मेसर्स स्टील प्राधिकरण पर शासन करना है।

वी. केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, रायपुर [के. एम. जोसेफ, जे.]

सर्वोच्च, ऐसे मामले में जहां कीमत अस्थायी है और भिन्नता के अधीन है

और जब इसे पूर्वव्यापी रूप से बदला जाता है तो यह हटाने के समय भी कीमत होगी। यह तथ्य कि बाद में यह ज्ञात है, इस तथ्य से विचलित नहीं हो सकता है कि बाद में खोजी गई कीमत हटाने के समय मूल्यवान नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 11 ए और धारा 11 एबी, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर थी, नियमों के साथ पढ़ने के लिए किसी अन्य समय का प्रावधान नहीं करती थी जब शुल्क की राशि को देय और इसलिए समान रूप से ब्याज कहा जा सकता था। हम एस. के. एफ. मामले (ऊपर) और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होंगे। हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।